भूमिका

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गयी थी। पशुधन के सर्वागीण विकास पशु चिकित्सा, रोग नियत्रणं, प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से आरम्भ किया गया। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमो को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ कर कृषि के साथ पशुपालन वृहत्तर योगदान कर रहा है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का लगभग 9 प्रतिशत है। पशुधन विकास के चार प्रमुख आयाम, उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबन्धन एवं पशु पोषण के क्षेत्र में समग्र प्रयास, पशुधन के चहुमुॅखी विकास का प्रमुख आधार है। वर्तमान में प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम है ।

पशुपालन विभाग की सरंचना

प्रदेश में प्रथमवार 2 निदेशक के पदों का सृजन किया गया है जिस पर दोनों निदेशक अपने–अपने पदों पर पदासीन है जिनके सहयोग हेतु चार अपर निदेशक (ग्रेड–1), 1 वित्त नियत्रंक एवं 1 संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद सृजित है। पशुपालन विभाग का विस्तृत संगठनात्मक ढांचा अन्तिम पृष्ठ पर संलग्न है ।

(1) मुख्य उद्देश्यः–

विभाग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कियाशील हैः–

1– प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्वि कर प्रदेश को स्वावलम्बी बनाना ।

2– समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना। विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एव सघन प्रयास करना।

3– प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत प्रजनन एवं बधियाकरण कार्यक्रम का संचालन करना।

4– विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक स्वावलम्बन सुनिश्चित करना ।

5– पशुधन हेतु पर्याप्त चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

6– चयनित पैरावेटों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।

7– पशुपालको को उनके पशुधन उत्पादो का समुचित मूल्य उपलब्ध कराना ।

8– गौशालाओं का विकास करना,गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।

9– पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का समावेश ।

10– पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

11– उद्यमिता विकास से सम्बंधित योजनाओं को संचालित करना।

(2) पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रम

1– पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।

2– गाय एवं भैंस विकास।

3– कुक्कट विकास ।

4— भेड़—बकरी विकास।
5— सूकर विकास ।
6— अन्य पशुधन विकास
7— चारा और चरागाह विकास ।
8— गौशाला एवं गो सदनों का विकास।
9— गो सेवा आयोग का सुदृढ़ीकरण ।
10— पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम ।
11— प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यकीय ।
12— बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाए।
13— उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना।
14— उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन।
15— उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम ।
16— वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन ।
17— 19वी पशुगणना कार्यक्रम।
18— राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें ।
19— नेशनल लाईव स्टाक मिशन की योजनायें।
20— उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद की योजनायें।

उपलब्धियॉ

1. उत्तर प्रदेश 251.977 लाख मीट्रिक टन दुग्ध के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2014—15 में 2077.450 मिलियन अण्डे एवं 14.941 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया गया।
2. प्रदेश मांस उत्पादन एवं निर्यात में भी प्रथम स्थान पर है।
3. उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में शत—प्रतिशत पशुओं को खुरपका—मुॅहपका रोग का टीका लगाकर रोग मुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिये प्रयास/व्यापक टीकाकरण से पशुओं में कोई व्यापक महामारी नहीं हुई।

4. प्रदेश में गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में बढ़ती हुई बॉझपन की समस्या के निराकरण हेतु विशेष योजना लागू कर 3.17 लाख पशुओं की वर्ष 2014–15 में चिकित्सा कर पशुओं के प्रजनन चक्र को सामान्य करने से दुग्ध उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी प्राप्त की गयी है।
5. पशु एवं कुक्कुट आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अत्याधुनिक परिवेश की न्यूट्रीशन प्रयोगशाला लखनऊ मुख्यालय पर क्रियाशील है।
6. ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत स्तर पर पैरावेट्स का चयन करते हुए प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।
7. कामधेनु योजना अर्न्तगत लाभार्थियो द्वारा 44,451 उच्च नस्ल के दुधारू पशु क्रयकियेगये है जिनसे प्रदेश में 5,32,000 लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन हो रहा है।
8. कुक्कुट विकास नीति 2013 के अर्न्तगत संचालित कामर्शियल लेयर फार्म की 92 इकाईयां क्रियाशील है, जिनसे 25 लाख अण्डों का प्रदेश में अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है एवं 10750 व्यक्तियो को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। उक्त योजनार्न्तगत प्रदेश में रू0 230 करोड़ का निवेश हुआ है।
9. 30000 बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना से अनुसूचित जाति के कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया।
10. जन समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नं0–18001805141 एवं 0522–2741991 है। वर्तमान में 4621 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें से 3866 शिकायतो का त्वरित निस्तारण किया गया है।

(3) पशुधन का स्तरः

पशुगणना वर्ष 2007 (18वी पशुगणना) तथा 2012 (19वीं पशुगणना) के अनुसार प्रदेश में पशुधन संख्या (कुत्तों सहित) क्रमशः 693.69 लाख तथा 746.71 लाख रही, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शित हैः–

(लाख में)

पशु प्रजाति का विवरण	पशुओं की संख्या वर्ष 2007	पशुओं की संख्या वर्ष 2012	वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत
कुल पशुधन	693.69	746.71	7.64
कुल गोवंशीय	190.97	205.66	7.69
1 दूध दे रही	45.47	58.83	29.38
2 सूखी	14.04	23.72	68.95
कुल महिषवंशीय	264.40	306.25	15.83
1 दूध में	91.86	105.38	14.72
2 सूखी	25.75	34.12	32.50
कुल बकरी	148.29	155.86	5.10
कुल भेड़	14.00	13.54	(–) 3.29
कुल सूकर	19.87	13.34	(–) 32.86

अन्य पशुधन	2.13	2.60	22.64
कुत्ते	54.03	49.46	(–) 8.46
कुक्कुट	178.80	186.68	4.41

(4) उत्पादकता एवं उत्पादनः

अ–उत्पादकताः–

वर्ष 2011–12 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में विभिन्न पशुजन्य पदार्थों का उत्पादन तथा प्रति पशु औसत उत्पादकता निम्नवत हैः–

कमांक	**पशुजन्य पदार्थ का नाम**	**पशु प्रजाति का नाम**	**उत्पादन इकाई का नाम**	**वर्ष 2013–14**	**वर्ष 2014–15**
1	दुग्ध उत्पादन	क–भारतीय गाय	किलोग्राम	2.587	2.597
		ख–वर्ण संकर	किलोग्राम	7.091	7.103
		ग–औसत सम्पूर्ण	किलोग्राम	3.146	3.178
		घ–भैंस	किलोग्राम	4.454	4.467
		ड.–बकरी	किलोग्राम	0.758	0.762
प्रतिपक्षी प्रतिवर्ष औसत उत्पादन					
2	अण्डा उत्पादन	क–अवर्णित	संख्या	174.6	145.4
		ख–उन्नतिशील	संख्या	231.5	199.3
		ग–औसत सम्पूर्ण	संख्या	188.3	190.3
3	ऊन उत्पादन	भेड़	किलोग्राम	0.895	0.902

ब–उत्पादन स्तरः– प्रदेश में पशुओं का उत्पादन स्तर निम्नलिखित हैः–

कं0 सं0	पशुजन्य पदार्थ का नाम	इकाई का नाम	2001–02 का स्तर	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त की	बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	2014–15 की पूर्ति (वास्तविक)	15–16 का लक्ष्य	दिसम्बर–15 तक (अनन्तिम)	16–17 का लक्ष्य

				उपलब्धि					
1	दूध	लाख मी0टन	145.945	225.56	362.455	251.977	329.504	191.56	362.455
2	अण्डा	मिलियन	805.64	1607.6	1876.579	2077.450	1705.981	1343.92	1876.579
3	ऊन	लाख कि.ग्रा.	18.507	14.202	26.233	14.941	25.718	9.99	26.233

(5) विभागीय आय–व्ययक स्तरः– (अनुदान संख्या–15 के अधीन)

विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर की योजनाओं के अन्तर्गत धन की व्यवस्था की गयी है। आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत निम्न योजनायें कियान्वित की जा रही हैः–

1. पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
2. पशु तथा भैंस विकास
3. कुक्कुट विकास
4. भेड़ तथा ऊन विकास
5. सूकर विकास
6. अन्य पशुधन विकास
7. चारा तथा चारागाह विकास
8. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय
9. शिक्षा एवं प्रसार
10. नेशनल लाईव स्टाक मिशन

इसी प्रकार आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए निम्न दो योजनाओं के अन्तर्गत विभक्त किया गया हैः–

1. निदेशन तथा प्रशासन

2. अन्य पशुधन विकास

वर्ष 2016–17 में आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर के अन्तर्गत निम्न धन का आय–व्ययक प्राविधान हुआ है जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र0सं0	मद का नाम	आय व्ययक प्राविधान		(रू0 लाख में)
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	अधिष्ठान	2419.02	72440.06	74859.08
2	आकस्मिक	45953.66	3414.21	49367.87
	योग मतदेय	48372.68	75854.27	124226.95
	भारित	–	13.79	13.79

पशुपालन का वर्तमान स्तर :–

उत्तर प्रदेश विशाल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक आबादी है। इसकी जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 16.16 प्रतिशत है, जिसमें अनुमानत 70–80 प्रतिशत लोग आज भी गॉवों में रहते हैं तथा कृषि आधारित कार्यों में संलग्न है। इनमें 65 प्रतिशत ग्रामीण छोटे कृषक, 7.8 प्रतिशत दो एकड़ से कम जोत वाले कृषक तथा 27.2 प्रतिशत दो से पॉच एकड़ की जोत वाले कृषक है। फलस्वरूप प्रदेश के बहुसंख्यक किसानों को कृषि के साथ अन्य कार्य अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु करना पड़ता है। ऐसे ग्रामीणों के रोजी रोटी हेतु पशुपालन सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि छोटी जोतों पर भी यह किसानों को नियमित एवं सुनिश्चित आय सुलभ कराता है। वस्तुतः प्रदेश में उपलब्ध पशुधन का लगभग 70 प्रतिशत रख–रखाव इन्हीं लघु कृषकों/भूमिहीन कृषि श्रमिकों द्वारा किया जाता है।

प्रदेश 251.97 लाख मी0टन0 दुग्ध उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 321 ग्राम प्रतिदिन है। उपर्युक्त तालिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रति गाय अथवा प्रति भैंस औसत दैनिक उत्पादन क्रमशः 3.178 तथा 4.467 किलोग्राम है। इस प्रकार प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन वृद्धि की असीम सम्भावनायें हैं।

सकल अण्डा उत्पादन में प्रदेश आठवें स्थान पर है, और 35 प्रतिशत अण्डा निजी क्षेत्रों से तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड पोल्ट्री से प्राप्त होता है, प्रदेश में पक्षियों से प्रति पक्षी औसत वार्षिक अण्डा उत्पादन की संख्या 190.2 है। अण्डा/मांस के उत्पादन–खपतें के अन्तर को पूरा करने के लिए लगभग 75 लाख अण्डा और 30 लाख ब्रायलर पक्षियो का प्रतिदिन निकटस्थ प्रदेशो से आयात करना होता है। इस प्रकार कुक्कुट पालन व्यवसाय के निजी क्षेत्रों में विकास की पूर्ण संभावनायें है। यह कम लागत से प्रारम्भ हो सकने वाला उत्तम व्यवसाय है।प्रदेश में कुक्कुट उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भता तथा उद्यमिता विकास हेतु कामर्शियल लेयर तथा ब्रायलर पैरेन्ट इकाईयों की स्थापना के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर लिये गये है।

बकरी,भेड़ एवं सूकर पालन के कार्य जो कि प्रजातिवार कम विकसित है और भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा उनकी महिलाओं में सुग्राहय है, के द्वारा सुगमतापूर्वक अपनायें जा सकते है। सामान्यतया ये कार्य सामाजिक दृष्टि से पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगो द्वारा किये जाते है। भेड एवं बकरी पालन को बढावा देने हेतु नेशनल लाइव स्टाक मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम लिये गये हैं।

योजनाओं के अन्तर्गत विभागीय परिव्यय (धनराशि लाख में)

कोड नं0	कार्य का वृहद शीर्षक	वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17 का प्रस्तावित परिव्यय
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय (जनवरी 16 तक)	
1	2	5	6	7	8	9	10			11
001	निदेशन तथा प्रशासन	0.00	0.00	39.35	35.14	39.71	39.252	43.09	38.13	80.00
101	पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	2624.61	2136.343	3375.99	2100.88	2453.34	3839.989	8320.80	2434.92	11000.00
102	पशु तथा भैंस विकास	1028.50	817.07	1012.83	5547.10	12743.59	9583.055	8112.08	4500.12	12500.00
103	कुक्कुट विकास	1322.00	1355.18	1146.00	1012.22	950.00	1449.315	1791.75	1100.9	2060.153
104	भेड़ तथा ऊन विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

105	सूकर विकास	511.18	302.33	526.00	521.98	116.50	92.053	860.03	106.09	1200.00
106	बकरी एवं अन्य पशुधन विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
107	चारा एवं चारागाह विकास	30.85	20.00	17.97	17.97	5.00	4.5	28.00	0.00	65.00
109	पशुधन का प्रचार–प्रसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	शोध एवं सांख्यकीय	139.73	69.825	139.00	84.46	140.00	1639.457	112.80	405.75	129.72
800	अन्य व्यय (एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग)	897.00	546.28	540.64	1363.84	451.86	134.371	252.18	123.90	290.007
000	लाइव स्टाक एवं एग्रीकल्चर फार्म	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**6553.87**	**5247.028**	**6797.78**	**10683.20**	**10900.00**	**16781.99**	**19521.00**	**8709.81**	**27424.88**

नोट–वर्ष 2015–16 का माह जनवरी, 2016 तक के व्यय दर्शया गया है।

प्रक्रियात्मक रणनीति

विभागीय समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायें जाने हेतु बल दिया गया है:–

1. पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानव संसाधन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
2. संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए सघन टीकाकरण का संचालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
3. पशुओं में अनुवर्रता शिविरो का आयोजन करना।
4. उन्नत पशु प्रजनन को 27.5 प्रतिशत के स्तर से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना।
5. कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना।
6. कुक्कुट उद्यमिता का विकास करना।
7. सूकर एवं भेड़, बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान करना।
8. पशुओं को उचित पोषण सुनिश्चित करने हेतु चारा एवं चारागाह विकास कार्यक्रम संचालित करना।
9. बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार के लिए पैरावेट प्रशिक्षण की योजना को प्रभावी बनाना।

वर्ष 2015–16 हेतु प्राथमिकतायें

1. कृषि से सम्बद्ध किसानों एवं कृषि श्रमिकों की आय में वृद्धि कराये जाने के उद्देश्य सें पशुधन/कुक्कुट इकाईयों की स्थापना तथा अन्य कार्यक्रमों हेतु प्रोत्साहित करना।
2. विभिन्न कार्यक्रमों, यथा पशु प्रजनन, पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
3. किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन की योजनाएं तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
4. मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक कामधेनु/मिनी कामधेनु इकाईयों की ब्याज मुक्त ऋण योजना के संचालन की कार्यवाही की जा रही है।
5. उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–13 को क्रियान्वित कर कुक्कुट पालन में उद्यमिता विकास।

विभागीय संस्थाएं

क्र0सं0	संस्था का नाम	वर्ष 2015–16 की वास्तविक स्थिति
1.	पशु चिकित्सालय	2200
2.	पशु सेवा केन्द्र	2575
3.	डी श्रेणी पशु औषधालय	268
4.	सचल पशु चिकित्सालय	25
5.	पालीक्लीनिक	05
6.	केन्द्रीय प्रयोगशाला	01
7.	मण्डलीय प्रयोगशाला	10
8.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	5043
9.	तरल नत्रजन केन्द्र	02
10.	अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	03
11.	सघन भेड़ विकास प्रायोजना	01
12.	मेढ़ा केन्द्र	05
13.	भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र	180
14.	भेड़ प्रक्षेत्र	02
15.	राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	06
16.	भदावरी भैस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन	01
17.	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र	10
18.	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र	06
19.	सूकर रोग निदान प्रयोगशाला	01
20.	सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
21.	बतख प्रक्षेत्र	01
22.	बटेर प्रक्षेत्र	01
23.	कुक्कुट काम्प्लेक्स	09
24.	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला	01

25.	सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक लैब	10
26.	कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
27.	कुक्कुट प्रक्षेत्र	11
28.	पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल यूनिट	02
29.	पशुशव उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का	01
30.	पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र	02
31.	बोवाइन स्टर्लिटी एवं इन्फर्टिलिटी नियंत्रण	09
32.	थनैला रोग नियंत्रण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
33.	टी0बी0ब्रूसेला एवं जोनाईन यूनिट, मुख्यालय	01
34.	आहार पारक्षण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
35.	इपिडिमियोलॉजी यूनिट, मुख्यालय	01
36.	कैनाईन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट	10
37.	पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ	01

ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम

पशुपालन विभाग अन्तर्गत विभाग में एक ई–गवर्नेन्स कक्ष कार्यरत है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट **(http://animalhusb.up.nic.in)** कार्यरत है। जिसमें विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, संस्थाओं एवं विभिन्न प्रशिक्षण आदि की महत्वपूर्ण जानकारी इन्टरनेट पर प्रेषित की गई है। वेबसाइट समय–समय पर अधुनान्त (अपडेट) की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम उपलब्ध है। विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त टेण्डर, टेण्डर फार्म, दर सूचियां विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध करायी जाती हैं। विभाग के टेन्डर वेबसाइट से डाउनलोड कर भरे जा सकते हैं। बेवसाइड पर सभी पशुचिकित्साविदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित विवरण एवं वरिष्ठता सूची उपलब्ध है। न्यायालयों के वादों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये वादों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिससे वादों का अनुश्रवण प्रभावी हो गया है। 19वीं पशुगणना के ऑकडे भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये है। साथ ही वित्तीय स्वीकृतियॉ, बजट एवं आवंटन तथा अन्य विभागीय शासनादेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्तमान में निदेशालय के प्रत्येक अनुभाग में कम्प्यूटर कार्यरत है। प्रदेश के 18 मण्डलीय कार्यालयों एवं जनपद मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर स्थापित एवं कार्यशील हैं। विभागीय सूचनाओं के त्वरित प्रेषण हेतु विभाग द्वारा अधिक से अधिक ई–मेल एवं बेवसाइट का प्रयोग किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य सभी प्रकार के देयकों का त्वरित एवं सुगमतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ई–पेमेन्ट प्रणाली लागू की गई है। बजट आवंटन प्रकिया को भी पूर्ण रुप से कम्पयूटरीकृत किया गया है तथा बजट आवंटन का कार्य आनलाइन किया जा रहा है।

प्रदेश के पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु मुख्यालय पर एक **पशुधन समस्या निवारण केन्द्र** की स्थापना की गई है, जो पशुपालकों के हित में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सप्ताह के सातो दिन कार्यरत हैं। उक्त केन्द्र पूर्णतया आन लाइन एवं आधुनिक सूचना तकनीक पर क्रियाशील है। इसके माध्यम से पशुपालकों की पशुधन संबंधी समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सूचना तकनीक का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं इस हेतु उन्हें कम्प्यूटर संचालन, इन्टरनेट, ई–मेल आदि का प्रशिक्षण भी मुख्यालय पर दिया जा रहा है।

भारत सरकार के पशुपालन एवं डेरी विभाग के सहयोग से पशु रोगों पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी के उद्देश्य से **नेशनल एनीमल डिजीज रिर्पोटिंग इन्फार्मेशन सिस्टम (एन0ए0डी0आर0एस0) आनलाइन** नेटवर्क प्रदेश में स्थापित किया गया है। जिससे ब्लाक स्तर के पशु चिकित्सालय पशुरोगों की निगरानी हेतु जनपदीय कार्यालयों से एवं मुख्यालय के एन0ए0डी0आर0एस0 सेल से जुड़ जायेगें एवं डिजीज रिपोर्टिग का कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिससे निरन्तर पशुरोगों की निगरानी एवं नियंत्रण में प्रभावी एवं गुणात्मक सुधार आयेगा।

प्रदेश में प्रथम बार विभागीय भर्तियों हेतु आन लाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न कराई गई। परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता हेतु कम्प्यूटराइजेशन एवं ई–गर्वर्नेन्स का प्रभावशाली योगदान रहा ।

वित्तीय आवश्यकतायें

(तालिका–क)

क– कार्यक्रम का वर्गीकरण

(धनराशि लाख रू0 में)

कार्यक्रम	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
001.निदेशन तथा प्रशासन	38.34	54636.30	54674.64	43.09	62676.10	62719.19
101.पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य	2662.29	–	2662.29	8366.91	–	8366.91
102.पशु तथा भैंस विकास	9339.61	–	9339.61	9913.23	–	9913.23
103.कुक्कुट विकास	549.62	–	549.62	781.75	–	781.75
104.भेड़ तथा ऊन विकास	–	–	–	39.66	–	39.66
106.अन्य पशुधन विकास	13.50	3012.64	3026.14	526.00	3161.32	3687.32
107.चारा तथा चारागाह विकास	3.50	–	3.50	1049.44	–	1049.44
113.प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय	1635.71	–	1635.71	367.60	–	367.60
800.अन्य व्यय	101.24	2482.95	2584.19	252.18	2610.00	2862.18
2013. मंत्रि परिषद	–	0.10	0.10	–	0.10	0.10
भारित	–	–	–	–	13.79	13.79
योग–मतदेय	**14343.81**	**60131.99**	**74475.80**	**21339.86**	**68461.31**	**89801.17**

कार्यक्रम	पुनरीक्षित अनुमान	आय–व्ययक अनुमान
	2015–16	2016–17

	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
001.निदेशन तथा प्रशासन	39.45	56506.94	56546.39	170.42	68813.54	68983.96
101.पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य	8909.32	—	8909.32	27555.07	—	27555.07
102.पशु तथा भैंस विकास	12249.65	141.00	12390.65	17621.12	141.00	17762.12
103.कुक्कुट विकास	781.75	—	781.75	1900.00	—	1900.00
104.भेड़ तथा ऊन विकास	39.66	—	39.66	4.00	—	4.00
106.अन्य पशुधन विकास	526.00	2967.91	3493.91	207.00	3395.73	3602.73
107.चारा तथा चारागाह विकास	1049.44	—	1049.44	479.60	—	479.60
113.प्रशासनिक अन्बेषण तथा सांख्यकीय	751.46	—	751.46	230.18	—	230.18
800.अन्य व्यय	252.18	2921.33	3173.51	205.29	3503.90	3709.19
2013. मंत्रि परिषद्	—	0.10	0.10	—	0.10	0.10
भारित	—	13.79	13.79	—	13.79	13.79
योग–मतदेय	**24598.91**	**62537.28**	**87149.98**	**48372.68**	**75868.06**	**124240.74**

ख –उद्देश्यवार वर्गीकरण

(तालिका ख)

(धनराशि लाख रू0 में)

कार्यक्रम	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
1.वेतन	699.51	26113.46	26812.97	792.11	27830.60	28622.71
2सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	24.57	2159.61	2184.18	52.18	2360.00	2412.18
3.महगाई भत्ता	672.37	26925.90	27598.27	950.53	33396.72	34347.25
4.यात्रा भत्ता	173.94	82.79	256.73	276.10	65.00	341.10
5.अन्य भत्ता	34.06	1368.61	1402.67	81.01	1487.60	1568.61
6.प्रासांगिक :–						
(क)सामान्य	4640.54	3481.62	8122.16	15456.86	3307.60	18764.46
(ख)भारित	–	–	–	–	13.79	13.79
7.कैपिटल आउटले	8098.82	–	8098.82	3731.07	–	3731.07
कुल योग	**14343.81**	**60131.99**	**74475.80**	**21339.86**	**68461.31**	**89801.17**
कार्यक्रम	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
1.वेतन	712.90	25047.56	25760.46	812.86	28623.13	29435.99
2सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	52.18	2671.33	2723.51	55.29	3253.90	3309.19
3.महगाई भत्ता	848.36	29806.60	30654.96	1105.49	38927.46	40032.95
4.यात्रा भत्ता	276.10	67.66	343.76	364.10	67.00	431.10
5.अन्य भत्ता	81.01	1487.60	1568.61	81.28	1575.57	1656.85
6.प्रासांगिक :–						
(क)सामान्य	15860.87	3456.53	19317.4	28416.20	3407.21	31823.41
(ख)भारित	–	13.79	13.79	–	13.79	13.79
7.कैपिटल आउटले	6767.49	–	6767.49	17537.46	–	17537.46
कुल योग	**24598.91**	**62551.07**	**87149.98**	**48372.68**	**75868.06**	**124240.74**

ग–वित्तीय साधनों का स्रोत

(तालिका ग) (लाख रू0 में)

अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
15.2013 मंत्रि परिषद	–	0.10	0.10	–	0.10	0.10
15.2403 पशुपालन	6244.99	60131.89	66376.88	17608.79	68447.42	86056.21
15.4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	8098.82	–	8098.82	3731.07	–	3731.07
भारित	–	–	–	–	13.79	13.79
कुल योग	**14343.81**	**60131.99**	**74475.80**	**21339.86**	**68461.31**	**89801.17**
अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
15.2013 मंत्रि परिषद	–	0.10	0.10	–	0.10	0.10
15.2403 पशुपालन	17831.42	62537.18	80368.6	30835.22	75854.17	106689.49
15.4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	6767.49	–	6767.49	17537.46	–	17537.46
भारित	–	13.79	13.79	–	13.79	13.79
कुल योग	**24598.91**	**62551.07**	**87149.98**	**48372.68**	**75868.06**	**124240.74**

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

1–निदेशन तथा प्रशासन

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			**2015–16**		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
निदेशन तथा प्रशासन						
मतदेय	38.34	54636.30	54674.64	43.09	62676.10	62719.19
भारित	–	–	–	–	13.79	13.79
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			**2016–17**		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
निदेशन तथा प्रशासन						
मतदेय	39.45	56506.94	56546.39	170.42	68813.54	68983.96
भारित	–	13.79	13.79	–	13.79	13.79

परिचयात्मकः–

मण्डलों में अपर निदेशक, ग्रेड–II तथा जनपदों में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी का पद सृजित है। जनपदीय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र के पशुपालन के क्रिया–कलापों के उचित प्रशासन तथा क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के कार्यकलापों का निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के समय पायी गयी विशेष बातों के सम्बन्ध में निदेशालय से सम्बन्धित अधिकारियों तथा मण्डलाधिकारियों को यथोचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

कार्यभार का सारांश, वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य

विभागीय कार्यकलापों का संचालन मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, ग्रेड–II तथा जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादित किया जाता है।

2–पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

वित्तीय माँग

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
पशुचिकित्सा सेवा एवं पशु स्वास्थ्य	2662.29	–	2662.29	8366.91	–	8366.91
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित आकडे.			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
पशुचिकित्सा सेवा एवं पशु स्वास्थ्य	8909.32	–	8909.32	27555.07	–	27555.07

परिचयात्मकः–

वर्तमान में कृषि विकास का कार्य तेजी से हो रहा है वहीं पशुधन गॉव के किसान एवं पशुपालकों की आर्थिक उन्नति का प्रमुख साधन बन गया है । विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में **पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य** एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। आज पशुधन विकास ''संकर प्रजनन'' में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर चुका है, ऐसे में संकर वर्ण पशुओ की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की महत्ता और बढ़ गयी है। संकर वर्ण पशुओं में संक्रामक रोगों, जीवाणु जनित रोगों एवं मैटावोलिक डिस–आर्डर की समस्यायें प्रमुख है। ये समस्याएं भारतीय मूल के पशुओं में भी पाई जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में पशुओं को पूर्णतः स्वस्थ रखना अपरिहार्य है। इसलिए पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य का महत्व स्वतः बढ़ जाता है।

उद्देश्यः–

पशु चिकित्सा सेवा एवं पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

1– प्रदेश के पशुओं को चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना ।
2– पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्य निष्पादित करना ।
3– उन्नतशील पशुओं की वृद्धि के दृष्टिकोण से अवर्णित व अनुपयोगी नर पशुओं का बधियाकरण करना।
4– विषय विशेषज्ञों द्वारा पशु चिकित्सा, शल्य क्रिया एवं एक्स–रे आदि सेवाओं को पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5– पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोंगों की जॉच, पैथालौजी की सुविधा, रोग निदान प्रयोंगशालाओं के द्वारा उपलब्ध कराना ।
6– पशुओं से मानव में फैलने वाली रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण स्थापित करना।
7– पशुरोग नियंत्रण की योजना (50 प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्ता के विभिन्न रोगों पर नियंत्रण किया जाना।
8– स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी बीमारियों पर नियंत्रण करना।
9– भारत सरकार की सहायता से एफ0एम0डी0–सी0पी0(60:40 प्रतिशत)योजनान्तर्गत समस्त 75 जनपदों में प्रत्येक 6 माह पर टीकाकरण कार्य किया जाता है।
10– प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर सर्वे का कार्य किया जाना।
11–''रिण्डरपेस्ट'' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं विलेज सर्च का कार्य किया जा रहा है।
12– रोगों के रोकथाम हेतु प्रमुख वैक्सीनों का उत्पादन जैविक औषधि उत्पादन संस्थान द्वारा किया जाना।

कार्यों का विवरण एवं निर्वहन

1– पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथामः–

(अ) पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2200 पशु चिकित्सालय, 268 ''द'' श्रेणी पशु औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में लगभग 15000 पशु संख्या पर एक पशुचिकित्सालय स्थापित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5,000 पशुओं पर एक पशुचिकित्सालय की स्थापना की जानी थी। परन्तु सीमित संसाधन एवं धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वर्ष 2016–17 में नवीन पशुचिकित्सालयों की स्थापना, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के निर्माण के साथ–साथ नवीन पशु सेवा केन्द्रों के खोले जाने व पशु सेवा केन्द्रो के बाउन्ड्रीवाल, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ब) पशुचिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (पशुचिकित्सालयों का पुनरोद्धार तथा अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था)–75 प्रतिशत सम्प्रति 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में चिन्हित जनपदों के अनुमोदित 150–पशुचिकित्सालयों के सापेक्ष अवशेष 26–तहसील स्तरीय पशुचिकित्सालयों का वित्तीय वर्ष 2015–16 में पुनरोद्धार अर्न्तगत निर्माण कार्य तथा 39–तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों पर अतिरिक्त उपकरणों से व्यवस्थित किया जाना है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य 81–तहसील स्तरीय पशुचिकित्सालयों में से 32–तहसील स्तरीय पशुचिकित्सालयों का वित्तीय वर्ष 2015–16 में पुनरोद्धार अर्न्तगत निर्माण कार्य तथा 61–तहसील स्तरीय पशुचिकित्सालयों पर अतिरिक्त उपकरणों से व्यवस्थित किये जाने का प्रस्ताव है।

2– <u>पॉलीक्लीनिक की स्थापना</u> :–

वर्तमान में विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पांच पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक क्रमशः गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत–बागपत तथा सैफई–इटावा में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से रेडियोलाजिस्ट, सर्जन एवं गायनोकोलाजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवायें (विषय विशेषज्ञों द्वारा) आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इटावा जनपद के सैफई एवं जनपद–बागपत के बड़ौत में स्थापित नवीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिकों के संचालन हेतु पदों का सृजन हो चुका है, जिसके सापेक्ष प्रश्नगत पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक भी क्रियाशील हो गये हैं। वर्ष 2007–08 में जनपद–गौतमबुद्धनगर में नवीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक बादलपुर की स्थापना हेतु स्वीकृत है, जिसके निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2014–15 में जनपद–बस्ती में नवीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक, बस्ती की स्थापना हेतु स्वीकृत है, जिसके निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही द्वितीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश के अन्य 15–मण्डलीय जनपदों के मुख्यालय पर नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना–ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर0आई0 डी0एफ0) अर्न्तगत एक–एक नवीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

3– <u>रोग निदान तथा बीमारियों की खोज</u>:–

उक्त कार्य हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला निदेशालय पर तथा 10 मंडलीय प्रयोगशालायें मंडलों पर कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पशुरोगों की जॉच एवं डायग्नोसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में मण्डलीय प्रयोगशाला वाराणसी एवं फैजाबाद, वर्ष 2005–06 में बरेली, मुरादाबाद तथा वर्ष 2006–07 में इलाहाबाद एवं आगरा तथा वर्ष 2007–08 में मेरठ में प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया गया है, वर्ष 2008–09 में झांसी व कानपुर में प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2009–10 में झांसी व कानपुर प्रयोगशालाओं के ही अवशेष सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2010–11 में अलीगढ़ में स्थापित स्वाईन फीवर प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश के अन्य 65 जनपदों के मुख्यालय पर एक–एक नवीन रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव है।

4– <u>पशुरोगों के नियंत्रण का कार्यक्रम</u>:–

(1) पशुपालन विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष 2015–16 सें पशुओं के रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रोग निरोधक टीकाकरण का कार्य निशुल्क किया जा रहा है।

(2) पशु रोगों के नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता–एस्कैड 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में सघन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 75–जनपदों में एच0एस0 रोग निरोधक टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान के रुप में चलाया जा रहा है। योजनान्तर्गत पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा हेतु पशुपालकों को जागरुक करने हेतु विविध कार्यक्रम एवं पशुचिकित्साविदों व पैरावेटनरी कार्मिकों को समय समय पर आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य भी किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में समस्त 75–जनपदों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पी0पी0आर0 टीकाकरण एक पृथक कार्यक्रम–पी0पी0आर0–सी0पी0 (60 प्रतिशत के0पो0) के अर्न्तगत किया जा रहा है।

पशु रोगो के नियन्त्रण हेतु राज्यो को सहायता (एस्कैड)–योजनार्न्तगत भारत सरकार के निर्देशानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में, कुत्तों के काटने से पशुओं में होने वाले रैबीज रोग की रोकथाम हेतु रैबीज रोग निरोधक टीकाकरण एवं पशुओं को अन्तः परजीवी कीटाणुओं से सुरक्षित रखने हेतु अभियान के रुप में दवापान की व्यवस्था किये जाने के लिये इण्डो पैरासिटिक कन्ट्रोल कार्यक्रम नामक दो नवीन कार्यक्रमों का प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(3) वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2013–14 तक खुरपका मुॅहपका, रोग नियंत्रण कार्यक्रम 17–जनपदों सम्प्रति 20–जनपदों में कुल 15 चरणों का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया । भारत सरकार के निर्देशानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में खुरपका–मुहॅपका रोग–नियन्त्रण कार्यक्रम एफ0एम0डी0– सी0पी0 के विस्तारीकरण के समक्ष वर्ष 2014–15 में प्रश्नगत कार्यक्रम का प्रदेश के समस्त 75–जनपदों को अच्छाादित कर 16वें चरण के रुप में निशुल्क एफ0एम0डी0 टीकाकरण अभियान का कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 17वें चरण के रुप में निशुल्क एफ0एम0डी0–टीकाकरण अभियान दि0 15 सितम्बर 2015 से चलाया गया। उक्त अभियान के पूर्ण होने के उपरान्त 6 माह के अन्तराल पर आगामी चरणों में एफ0एम0डी0–टीकाकरण का नियमित अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

(4) पशुरोगों के महामारी की निगरानी तथा उसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1996–97 से अब तक 153 बीमारियों का सर्वे प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर रोग का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे कार्य को गति प्रदान करने हेतु समस्त जनपदों को दूरभाष एवं फैक्स तथा कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है इसे राज्य मुख्यालय एवं भारत सरकार से एन0आई0सी0 नेटवर्क से जोड़े जाने की कार्यवाही क्रमित है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की नेशनल एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (100 प्रतिशत के0पो0) योजना के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(5) राष्ट्रीय महत्ता के कुछ प्रमुख बीमारियों जैसे टी0बी0 ब्रूसेला, पुलोरम डिजीज, स्वाइन फीवर, रैबीज एवं बोवाइन स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी एवं एबार्शन रोगों का नियंत्रण किया जाता है। उक्त रोगों के नियंत्रण हेतु प्रदेश में निदेशालय स्तर पर कुक्कुट रोग नियंत्रण प्रयोगशाला, टी0बी0 ब्रूसेला यूनिट स्थापित है। वर्तमान समय में 9 स्टर्लिटी इन्फर्टिलिटी एंव 10 कैनाइन रैबीज यूनिट, 2 पुलोरम डिजीज यूनिट, एक सूकर रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित हैं।

(6) पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत नेशनल कन्ट्रोल प्रोग्राम आन ब्रुसेलोसिस (एन0सी0पी0बी0)– 100 प्रतिशत सम्प्रति 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के माध्यम से प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा पशुओं में प्रजनन योग्य मादा पशुओं में संक्रामक गर्भपात (ब्रुसेल्लोसिस) को नियंत्रित करने हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

5– <u>नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिन्डरपेस्ट सर्विलान्स एण्ड मानीटरिंग</u> :–

यह 100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पोकनी रोग से मुक्त घोषित किया गया है। पूरे प्रदेश में ''रिन्डर पेस्ट'' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं विलेज सर्च का कार्य किया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत रोग से ग्रस्त सम्भावित पशुओं को डे–बुक रजिस्टर में अंकित करना तथा पशुओं पर व्यापक निगरानी रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आर0 पी0 रोग वर्तमान समय में नही है, परन्तु यह रोग वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक रोग है जिसके संचारित होने की सदैव सम्भावना बनी रहती है, इसलिये इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखना आवश्यक है। इस रोग की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार को प्रतिमाह भेजी जाती हैं।

प्रक्रियात्मक रणनीतिः–

पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लायें जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया हैः–

1. रोग नियंत्रण सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को चिन्हित कर वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक लक्ष्यों को निर्धारित कर तदानुसार समीक्षा, मूल्यांकन तथा कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु त्वरित प्रभावी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई है ।
2. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी तथा पशुओ में रोगों के रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों को पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन प्रचार–प्रसार को और सुदृढ़ किया जा रहा है । आज जबकि कृषि का विकास तेजी से हो रहा है तथा पशुधन का महत्व कृषि कार्य के लिये उपयोगी होता जा रहा है। जैविक खाद के अभाव तथा रसायनिक खाद के उपयोग से कृषि भूमि की उर्वरता शक्ति लगातार घटती जा रही है। जो भविष्य में कृषि के लिये एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है।ऐसी स्थिति मे पशुधन का विशेष महत्व है।अतएव कृषि उपज में वृद्धि लाने, भूमि की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने एवं पौष्टिक खाद्यान्न पैदा करने हेतु पशुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुपालन से एक ओर जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी वही उसके उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति को अधिकाधिक समय तक बनाये रक्खा जा सकता है और पशुपालन से प्रचुर मात्रा में दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थो का उपयोग भी करने को मिलेगा।उत्तम स्वास्थ्य के लिये दुग्ध के उपयोग के साथ ही जैविक खाद के उपयोग से पौष्टिक खाद्यान्न की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। विभाग द्वारा जनमानस में प्रचार–प्रसार, कृषकों एवं पशुपालकों को सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान रणनीति के साथ–साथ समय की मांग के अनुरुप व्यापक तकनीकि रणनीति भी तैयार की जा रही है।

पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य/पूर्ति का विवरण

(संख्या लाख में)

	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15	
कार्यक्रम	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	873.210	695.41	1669.770	968.50
चिकित्सा	301.650	319.122	302.860	325.25

	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
कार्यक्रम	लक्ष्य	पूर्ति (माह सितम्बर 2014 तक)	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	1766.04	722.85	लक्ष्य निर्धारण की कार्यवाही क्रमित	–
चिकित्सा	302.86	230.86		–

रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन :–

रोगों के निदान से बेहतर बचाव के सिद्धान्त को मानते हुए पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिये पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा उत्पादित टीका बहुत प्रभावकारी है।पशु पक्षियों में विभिन्न रोगों के रोकथाम हेतु टीकों के उत्पादन का कार्य निदेशालय स्थित पशु जैविक औषधि संस्थान के द्वारा किया जा रहा है।

पशु जैविक औषधि संस्थान बादशाहवाग लखनऊ में विभिन्न प्रकार की विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के टीकों (वैक्सीनों) का उत्पादन किया जाता है। संस्थान में इनके उत्पादन के पश्चात् प्रयोगात्मक पशुओं पर इनका परीक्षण तथा विश्लेषण होता है, उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर ही वितरण हेतु इन्हे जारी किया जाता है। प्रदेश के जनपदों से प्राप्त मांग के अनुसार उत्पादित वैक्सीनों का वितरण संस्थान द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है।

पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 2013–14 में विभिन्न 08 प्रकार की वैक्सीनों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2013–14 में कुल 216.08 लाख खुराक वैक्सीन उत्पादित हुई तथा वर्ष 2014–15 में 228.494 लाख खुराक वैक्सीन उत्पादित हुई, जैसा कि क्रमशः तालिका 1 व 2 में दर्शाया गया है।

तालिका–1 3– रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन (खुराक.....लाख में)

जैविक औषधियों के नाम तालिका (लाख में)	2013–14 वास्तविक		2014–15 वास्तविक		2015–16 वास्तविक 31.10.2015 तक	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
1. आर0डी0एफ0–1 वैक्सीन	10.00	8.30	10.00	8.350	11.00	0.00
2. आर0डी0(आर0–2बी) वैक्सीन	60.00	64.60	62.00	66.756	42.00	33.56
3. फाउल पाक्स वैक्सीन	6.00	2.20	6.00	2.400	2.85	0.00
4. स्वाइन फीवर वैक्सीन	1.20	0.80	1.20	0.733	1.10	0.60
5. एच0एस0एलम वैक्सीन	140.00	130.78	145.00	139.70	161.00	168.54
6. बी0क्यू0 वैक्सीन	2.00	2.05	2.10	2.375	0.00	0.00
7. टिशू कल्चर शीपपाक्स वैक्सीन	5.00	5.00	5.20	5.20	0.90	0.00
8. इन्ट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन	2.00	2.35	2.10	2.980	00.00	0.00
योग	**226.20**	**216.08**	**233.60**	**228.494**	**218.85**	**202.70**

तालिका–2 वैक्सीन की उपलब्धि एवं वितरण की स्थिति (खुराक लाख में)

जैविक औषधियों के नाम	2014–15 वास्तविक		2015–16 (वास्तविक) माह 31.10.15 तक	
	वितरण हेतु उपलब्ध वैक्सीन	वितरण	वितरण हेतु उपलब्ध वैक्सीन	वितरण
1. आर0डी0(आर0–2बी) वैक्सीन	95.896	89.912	39.572	32.160
2. आर0डी0एफ0–1 स्ट्रेन वैक्सीन	13.680	5.610	8.204	8.040
3. फाउल पा0वैक्सीन	4.006	3.366	0.640	0.640

4. स्वाइन फीवर वैक्सीन	1.135	0.811	0.924	0.680
5. एच0एस0एलम वैक्सीन	250.828	244.047	242.270	218.765
6. बी0क्यू0 वैक्सीन	4.234	1.980	2.253	2.206
7. इन्ट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन	9.953	4.720	5.233	4.113
8. टिशू कल्चर शीपपाक्स वैक्सीन	5.330	2.400	2.390	2.195
9. पी0पी0आर0 वैक्सीन	16.720	13.616	3.104	2.228
10. एफ0एम0डी0 वैक्सीन प्राइवेट	0.128	0.128	00.00	0.00
11. ब्रूसेल्ला वैक्सीन	0.922	0.922	0.00	0.00
योग	**402.832**	**367.512**	**304.590**	**271.027**

नोट :–वित्तीय वर्ष 2015–16 में एच0एस0 वैक्सीन 67.255 लाख खुराक वैक्सीन निदेशालय द्वारा क्रय कर संस्थान को वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2015–16 के लिये रु0 110097.00 हजार रुपये के बजट की मांग की गई है, जिससे कि संस्थान द्वारा प्रदेश में उपलब्ध बडे. पशुओं छोटे पशुओं तथा मुर्गियों को संक्रामक रोगो से बचाव के लिये क्षमता अनुसार अधिक से अधिक जैविक औषधियों/ टीके निर्मित किये जा सकेंगे। प्रस्तावित धनराशि से तालिका–3 के अनुसार वर्ष 2015–16 हेतु लक्ष्य रखा गया है।

तालिका–3 उत्पादित किये जा रहे वैक्सीनों हेतु वर्ष 2016–17 के लक्ष्य (खुराक लाख में)

जैविक औषधियों के नाम	**2015–16 पुनरीक्षित 31.10.2015 तक**		**2016–17 के अनुमानित लक्ष्य**	
	उत्पादन	**वितरण**	**उत्पादन**	**वितरण**
1. आर0डी0 (आर0–2 बी) वैक्सीन	66.00	32.160	66.00	–
2. आर0डी0एफ0–1 वैक्सीन	11.00	8.040	11.00	–
3. फाउल पाक्स वैक्सीन	6.60	0.640	6.60	–
4. स्वाइन फीवर वैक्सीन	1.30	0.680	1.30	–
5. एच0एस0एलम वैक्सीन	245.00	151.510	250.00	–
6. बी0क्यू0 वैक्सीन	2.20	2.207	2.20	–
7. टिशू कल्चर शीपपाक्स वैक्सीन	5.50	4.113	5.50	

8. इन्ट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन	2.20	2.195	2.20	—
योग	**339.80**	**201.545**	**344.80**	—

तालिका–4 पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ के 2016–17 के वैक्सीन उत्पादन का त्रैमासवार लक्ष्य

(खुराक लाख में)

वैक्सीन का नाम	**प्रथम त्रैमास**	**द्वितीय त्रैमास**	**तृतीय त्रैमास**	**चतुर्थ त्रैमास**	**वार्षिक योग**
1. आर0डी0 (आर–2 बी) वैक्सीन	18.00	18.00	16.00	14.00	66.00
2. आर0डी0एफ0–1 वैक्सीन	2.50	6.50	2.00	0.00	11.00
3. फाउल पाक्स वैक्सीन	0.00	2.00	2.55	2.05	6.60
4. स्वाइन फीवर वैक्सीन	0.00	0.90	0.40	0.00	1.30
5. एच0एस0एलम वैक्सीन	90.00	85.00	0.00	75.00	250.00
6. बी0क्यू0 वैक्सीन	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
7. इन्ट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
8. टिशू कल्चर शीपपाक्स वैक्सीन	0.00	0.00	2.80	2.70	5.50
योग	**110.50**	**112.40**	**28.15**	**93.75**	**344.8**

तालिका–5 वर्ष 2016–17 में वैक्सीन उत्पादन का प्रस्तावित माहवार कार्यक्रम

वैक्सीन का नाम	अप्रैल 2016	मई 2016	जून 2016	जुलाई 2016	अगस्त 2016	सितम्बर 2016	अक्टूबर 2016
1. आर0डी0 (आर–2 बी) वैक्सीन	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
2. आर0डी0एफ0–1 वैक्सीन	0.00	0.00	2.50	2.50	2.00	2.00	2.00
3. फाउल पाक्स वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.85
4. स्वाईन फीवर वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.20
5. एच0एस0एलम प्रे0 वै0	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	0.00
6. बी0 क्यू0 वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. टी0सी0शीप पाक्स वै0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
8. ई0टी0वी0 वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**36.00**	**36.00**	**38.50**	**38.50**	**39.50**	**34.40**	**9.95**

वैक्सीन का नाम	नवम्वर 2016	दिसम्वर 2016	जनवरी 2017	फरवरी 2017	मार्च 2017	वार्षिक योग
1. आर0डी0 (आर–2बी) वैक्सीन	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	66.00
2. आर0डी0एफ0–1 वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
3. फाउल पाक्स वैक्सीन	0.85	0.85	0.85	0.60	0.60	6.60
4. स्वाईन फीवर वैक्सीन	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

5. एच0एस0एलम प्रे0 वै0	0.00	0.00	20.00	25.00	30.00	250.00
6. बी0 क्यू0 वैक्सीन	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	2.20
7. टी0सी0शीप पाक्स वै0	0.90	1.00	1.00	0.90	0.80	5.50
8. ई0टी0वी0 वैक्सीन	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	2.20
योग	**9.15**	**9.05**	**26.85**	**31.50**	**35.40**	**344.80**

नोटः— क्षेत्रीय मॉग के अनुसार उत्पादन एवं वितरण घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4—उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रु0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय—व्ययक अनुमान		
	2014—15			2015—16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
उ0प्र0 वेटरिनरी काउंसिल	31.92	—	31.92	58.36	—	58.36
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय—व्ययक अनुमान		
	2015—16			2016—17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
उ0प्र0 वेटरिनरी काउंसिल	53.28	—	53.28	71.53	—	71.53

प्रदेश में पशु चिकित्सा व्यवसाय को रेगुलेट करने तथा पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा स्नातक पशु चिकित्साविदों द्वारा उपलब्ध कराने तथा उन्हें पशु चिकित्सा की आधुनिक पद्धति की जानकारी देने के ध्येय से भारत सरकार द्वारा पारित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत किये जाने के पश्चात इसके अधीन भारत सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् कार्यालय की स्थापना की गई। कार्यालय की स्थापना के उपरान्त से

सरकारी तथा गैर सरकारी पशु चिकित्साविदों के पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है । परिषद् की स्थापना की तिथि से दिनांक 30.09.2015 तक किये गये पंजीकरण, नवीनीकरण प्रमाणपत्र तथा निरस्तीरण की स्थिति निम्नवत है :–

1–पंजीकरण :– 6342

2–नवीनीकरण :– 6933

3– निरस्तीकरणः– 349

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होते है, पूर्ण व सही पाये जाने पर उनका शत प्रतिशत पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाता है। बी0वी0एस0 सी0 एण्ड ए0एच0 कोर्स की समाप्ति पर जितने भी आवेदन पत्र प्रोविजनल प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त होते हैं, सही पाये जाने पर शत–प्रतिशत अस्थाई प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का लक्ष्य है।

5–पशु तथा भैंस विकास

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय मांग धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
पशु तथा भैंस विकास	9339.61	–	93.61	9913.23	–	9913.23
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
पशु तथा भैंस विकास	12249.65	141.00	12390.65	17621.12	141.00	17762.12

परिचयात्मक / उद्देश्य :–

प्रदेश में पशु विकास का कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये चलाया जा रहा है :–

1– प्रदेश में पशु प्रजनन नीति वर्ष 2002 से प्रभावी है। पशु प्रजनन नीति को वर्तमान परिपेक्ष्य में विशेषज्ञों के सहयोग से रिव्यू किया जाना।

2– कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य वर्ष 2015–16 में 82.50 लाख निर्धारित किया गया है तथा बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 125 लाख प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किये जाने का लक्ष्य है जिससे प्रदेश की कुल प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 50 प्रतिशत आच्छादन हो जायेगा ।

3– कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कर पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराना।

4– प्रत्येक पशुचिकित्सालय क्षेत्र में बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन कर बांझपन समस्या से ग्रस्त पशुओं का उपचार कर प्रजनन योग्य बनाना है एवं पशुओं में परजीवी कृमिनाशक दवापान, मिनरल मिक्सचर, टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता को बढाया जाना ।

5– उच्च गुणवत्ता के जर्म प्लाज्म को बढ़ावा देने हेतु तथा प्रदेश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कामधेनु योजना लागू किया जाना।

6– पशुओं में परजीवी कृमिनाशक दवापान, मिनरल मिक्सचर, टीकाकरण / कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता को बढाया जाना।

7– ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन संबंधी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।

पशु विकास कार्यक्रम वस्तुतः मुख्य रूप से उन्नत प्रजनन पर आधारित है, जिसके लिये 5043 विभागीय संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। स्वरोजगाार के अर्न्तगत प्रशिक्षित 8168 पैरावेटस के द्वारा भी कृत्रिम गर्भाधान सेवा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जा रही है।

अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज का वर्षवार लक्ष्य व उत्पादन निम्नवत् है :– आंकड़े (लाख में)

क्र0 सं0	मद	2013–14		2014–15		2015–16		2016–17
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रॉज का उत्पादन	13.65	13.48	8.45	4.41	12.50	4.38	20.00

<u>प्रदेश में पशु प्रजनन नीति</u> :–

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के 30 प्रतिशत (प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिए विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त की जा रही है। इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत् नस्ल के सांड़ों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित है :–

1– दुग्ध विकास हेतु प्रदेश के गोवंश को विदेशी नस्ल के साड़ों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराकर संकर नस्ल तैयार कर दुग्ध की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिये बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर मण्डल हेतु जर्सी व जर्सी क्रास तथा अन्य क्षेत्रों हेतु होलिस्ट्रीन फ्रीजियन व इनका क्रास अनुमोदित है ।

2– विशुद्ध भारतीय मूल के संरक्षण व संबर्द्धन हेतु इनके उच्चवर्गीकरण के लिये शुद्ध भारतीय नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है ।

3– विदेशी रक्त को 50 प्रतिशत बनाए रखने के लिये स्वदेशी सांड़ों का वीर्य, संकर प्रजनन हेतु प्रयोग किया जा रहा है तथा संकर नस्ल के सांड़ों से गर्भित कराया जा रहा हैं।

4– महिषवंश के उच्चवर्गीकरण हेतु मुर्रा व भदावरी नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है ।

5– वर्ष 2004–05 से विभाग मे वायफ के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के आर्थिक विकास /उन्नयन हेतु जनपदो में 512 केन्द्रों पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन केन्द्रों पर अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधन का कार्य किया जा रहा है।

6– वर्ष 2011–12 से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 120 केन्द्र एवं अन्य जनपदों में वायफ द्वारा 232 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत पशुपालन सेक्टर में स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 तक 1837 पैरावेट्स कार्यशील किये गये हैं। इस योजना में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रमुख रहा है। उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा 1600 पैरावेटों का चयन वर्ष 2013–14 में किया गया है।

पशु प्रजनन कार्य के लिए विभाग द्वारा निम्नवत् सांड़ों को रखा गया है :–

(2015–16)

क्र0सं0	मद	गाय	भैंस	योग
1.	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर	74	58	132
2.	बुन्देलखण्ड संभाग में वितरित सांडों की संख्या	0	850	850
3.	प्राकृतिक गर्भाधान हेतु रखे गये सांडों की संख्या	1060	840	1900
योग		**1134**	**1748**	**2882**

विभागीय पैरावेट–

वर्ष 2013–14 में पैरावेट की योजना (रा0यो0)

वर्ष 2013–14 में पैरावेट की योजना के अर्न्तगत टोकन मनी प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2014–15 में पैरावेट की योजना (रा0यो0)

वर्ष 2014–15 में पैरावेट की योजना के अर्न्तगत टोकन मनी प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2015–16 में पैरावेट की योजना (रा0यो0)

वर्ष 2014–15 में पैरावेट की योजना के अर्न्तगत बजट प्राविधान नही हुआ है।

पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू योजनायें:–

1– गायों/भैसों में कृत्रिम गर्भाधान तथा पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)

2– राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन की योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा संचालित।

3– गाय/भैंसों में पशु अनुर्वरता एवं बांझपन की योजना (राज्य योजना)

4– गाय एवं भैंस विकास डेयरी काम्पलेक्स की स्थापना (राज्य योजना)

5– वर्णसंकर एवं भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना(राज्य योजना)

6– कामधेनु इकाईयों की ब्याजमुक्त ऋण योजना।

कामधेनु डेयरी योजना

प्रदेश में उच्च उत्पादक क्षमता वाले गोवंशीय एवं महिषवंशीय दुधारू पशुओं के उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में ही उच्च गुणवत्ता के पशुओं की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त कामधेनु मिनीकामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना प्रारम्भ की गयी है।

कामधेनु योजना (100 दुधारू पशुओं) में एक इकाई की पूर्ण लागत रू0 121.52 लाख है। इकाई लागत का 25 प्रतिशत (रू0 30.38 लाख) लाभार्थी को मार्जिनमनी के रूप में वहन करना होगा तथा 75 प्रतिशत (रू0 91.14 लाख)बैंक ऋण होगा । बैंक से लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पांच वर्षो (60 माह) तक ब्याज की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 32.82 लाख की सीमा तक की जायेगी ।

मिनी कामधेनु योजना (50 दुधारू पशुओं) मे एक इकाई की पूर्ण लागत रू0 50.58 लाख है।इकाई लागत का 25 प्रतिशत (रू0 12.64 लाख) लाभार्थी को मार्जिनमनी के रूप में वहन करना होगा तथा 75 प्रतिशत (37.94 लाख) बैंक ऋण होगा। योजनान्तर्गत बैंक से लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पांच वर्षो (60 माह) तक ब्याज की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 13.66 लाख की सीमा तक की जायेगी ।

माइक्रो कामधेनु योजना (25 दुधारू पशुओं) में इकाई की पूर्ण लागत रू0 26.99 लाख है। इकाई लागत का 25 प्रतिशत (रू0 6.74 लाख) लाभार्थी मार्जिनमनी के रूप में वहन करना होगा तथा 75 प्रतिशत (रू0 20.25 लाख) बैंक ऋण होगा । योजनान्तर्गत बैंक से लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पांच वर्षो (60 माह) तक ब्याज की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 7.29 लाख की सीमा तक की जायेगी ।

भौतिक कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2016–17

त्रैमास का नाम	मद का नाम	2013–14		2014–15	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
प्रथम त्रैमास		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	1300000	1314862	1392857	1399013
	उत्पन्न संतति की संख्या	370000	358423	500000	412186
द्वितीय त्रैमास		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	1400000	1409578	1500000	1508248
	उत्पन्न संतति की संख्या	390000	332241	520000	392044
तृतीय त्रैमास		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2200000	2209457	2357143	2002231

	उत्पन्न संतति की संख्या	580000	511124	630000	595770
		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			
चतुर्थ त्रैमास	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2100000	2200000	2250000	2877689
	उत्पन्न संतति की संख्या	560000	495589	600000	715456
		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			
वार्षिक योग	**कृत्रिम गर्भाधान की संख्या**	**7000000**	**7133897**	**7500000**	**7787181**
	उत्पन्न संतति की संख्या	**1900000**	**1697377**	**2250000**	**2115456**

भौतिक कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2016–17

त्रैमास का नाम	**मद का नाम**	**वर्ष 2015–16 का**		**वर्ष 2016–17 का अनुमनित लक्ष्य**
		लक्ष्य	**माह सितम्बर 2015 तक की पूर्ति**	
		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
प्रथम त्रैमास	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	1650000	1470171	1815000
	उत्पन्न संतति की संख्या	598771	456917	658648
		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
द्वितीय मास	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2350000	1819410	2585000
	उत्पन्न संतति की संख्या	581687	415567	639856
		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
तृतीय त्रैमास	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2350000	1991108	2585000
	उत्पन्न संतति की संख्या	602887	571702	663176
		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
चतुर्थ त्रैमास	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	1900000		2090000
	उत्पन्न संतति की संख्या	691685		760854
		अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
वार्षिक योग	**कृत्रिम गर्भाधान की संख्या**	**8250000**	**5280689**	**9075000**
	उत्पन्न संतति की संख्या	**2475030**	**1424186**	**2722534**

6– वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य

कुक्कुट विकास कार्यक्रम

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
कुक्कुट विकास	549.62	–	549.62	781.75	–	781.75
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
कुक्कुट विकास	781.75	–	781.75	1900.00	–	1900.00

परिचयात्मक / उद्देश्य

1– कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास करना।
2– बैकयार्ड कुक्कुट कार्यक्रम अर्न्तगत वैकयार्ड कुक्कुट इकाईयॉ स्थापित करना।
3– मानव आहार में उच्च गुणवत्ता की पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि करना ।
4– ग्रामीण / शहरी क्षेत्र के कुक्कुट पालकों को उन्नतिशील कुक्कुट पालन की प्रारम्भिक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराना ।
5– कुक्कुट की अपनी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण / नगरीय क्षेत्र के छोटे / बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना ।
6– कुक्कुट पालकों के पक्षियों में रोगों का सामान्य निदान तथा कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना ।
7– पशु / पक्षी के आहार की गुणवत्ता हेतु विभिन्न आहारों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
8– कुक्कुट पालकों के कुक्कुट उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने तथा उनके विपणन में सहयोग प्रदान करना ।

उत्पादन स्तरः–

1– अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् की संस्तुति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 182 अण्डा तथा 10.82 कि0ग्रा0 कुक्कुट मांस मिलना चाहिये ।
2– प्रदेश में 5 अण्डा तथा 0.837 कि0ग्रा0 कुक्कुट मांस प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उत्पादन है।
3– जबकि प्रदेश में 23 अण्डा तथा 0.9873 कि0ग्रा0 कुक्कुट मांस प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से उपभोग किया जा रहा है ।
4– प्रदेश में अण्डा तथा कुक्कुट मांस के कुल उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत निजी क्षेत्र में कार्यरत आर्गनाइज्ड सेक्टर के कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड क्षेत्रों में कार्यरत कुक्कुट प्रक्षेत्रों से होता है।
5– इस प्रकार प्रदेश के उक्त दोनों क्षेत्रों में विकास की असीम सम्भावनायें हैं।

विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरणः–

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा कुक्कुट विकास की मुख्य रूप से निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। आयोजनेत्तर पक्ष से वहन होता है। प्रदेश में बैकयार्ड पोल्ट्री के अर्न्तगत कुक्कुट पालकों की उच्च गुणवत्ता के कुक्कुट चूजों को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रदेश में कार्यरत 11 कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरियों हेतु पेरेन्ट पक्षी तथा अन्य व्यवस्था हेतु धन उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :–

1. कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना (राज्य यो0) 05 वर्षो में 123 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
2. ब्रायलर पेरेन्ट फार्म की स्थापना (राज्य योजना) 05 वर्षो में 06 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
3. कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना।
4. 30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण ।
5. आहार परीक्षण प्रयोगशाला।
6. कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला।।
7. सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला
8. सालमोनैला पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल प्रयोगशाला।
9. बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (राज्य योजना/एस0सी0पी0/समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित)–राज्य योजना
10. रूरल बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (75 प्रतिशत केन्द्र पोषित) राज्य योजना

1– कामर्शियल कुक्कुट विकास फार्म की स्थापना (राज्य योजना)

(अ) 30000 कामर्शियल लेयर्स फार्म योजना

1. उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत कामर्शियल लेयर्स फार्म की 30000 पक्षी क्षमता की इकाई स्वीकृति की गयी है,जिस पर रु0 180.00 लाख की कुल लागत आयेगी, जिसका 70 प्रतिशत अर्थात 126.00 लाख बैंक ऋण तथा 30 प्रतिशत अर्थात 54.00 लाख मार्जिन मनी होगी ।जो लााभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।
2. इस योजना के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज का भार उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। 5 वर्षो में कुल अधिकतम 40.00 लाख ब्याज की प्रतिपूर्ति प्रति इकाई की जायेगी ।
3. 5 वर्षो में कामर्शियल लेयर 30000 पक्षियों की 200 फार्म खोले जायेंगे ।
4. कामर्शियल लेयर्स फार्म की एक इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम तीन एकड भूमि की आवश्यकता होगी,जिसके लिए स्टैम्प डयूटी में शत–प्रतिशत छूट उद्यमियों को उपलब्ध है।
5. इलेक्ट्रिसिटी डयूटी में 10 वर्षो तक प्रति इकाई प्रतिमाह रु01200.00 की छूट का प्राविधान है।

(ब) 10000 कामर्शियल लेयर्स फार्म योजना

1. उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत कामर्शियल लेयर्स फार्म की 10000 पक्षी क्षमता की इकाई स्वीकृति की गयी है,जिसपर रु0 70.00 लाख की कुल लागत आयेगी, जिसका 70 प्रतिशत अर्थात 49.00 लाख बैंक ऋण तथा 30 प्रतिशत अर्थात 21.00 लाख मार्जिन मनी होगी ।जो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।
2. इस योजना के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज का भार उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। 5 वर्षो में कुल अधिकतम 13.33 लाख ब्याज की प्रतिपूर्ति प्रति इकाई की जायेगी ।
3. 5 वर्षो में कामर्शियल लेयर 10000 पक्षियों की 630 इकाई स्थापित की जायेगी।
4. कामर्शियल लेयर्स फार्म की एक इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम एक एकड भूमि की आवश्यकता होगी,जिसके लिए स्टैम्प डयूटी में शत–प्रतिशत छूट उद्यमियों को उपलब्ध है।
5. इलेक्ट्रिसिटी डयूटी में 10 वर्षो तक प्रति इकाई प्रतिमाह रु0400.00 की छूट का प्राविधान है।

2–ब्रायलर पेरेन्ट फार्म की स्थापना (राज्य योजना)

प्रदेश में लगभग 972 लाख कामर्शियल ब्रायलर चूजे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता है जिसकी प्रतिपूर्ति के लिये 5 वर्षो में 10 हजार ब्रायलर पेरेन्ट पक्षियों की एक इकाई के कुल 60 फार्म इकाईया खोली जायेंगी। एक ईकाई की कुल लागत रु0 206.50 लाख आयेगी जिसका 70 प्रतिशत अर्थात रु0 146.00 लाख बैंक ऋण होगा तथा 30 प्रतिशत अर्थात रु0 61.50 लाख मार्जिन मनी होगी जिसे उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इस योजना के लिये बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षो (60 माह) तक राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज का वहन उद्यमी द्वारा स्वयं किया जायेगा। एक इकाई की स्थापना हेतु लगभग 6 एकड भूमि की आवश्यकता होगी। उद्यमी एक इकाई अथवा इसके गुणक में फार्म की स्थापना कर सकता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2013 के अनुसार लाभार्थी को अन्य सुविधायें यथा स्टेम्प शुल्क में छूट, मण्डी शुल्क में छूट इत्यादि दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 10 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष्य 02 इकाईयों का ऋण स्वीकृत हो चुका है। स्थापना पर कार्य चल रहा है। वर्ष 2014–15 में भी 10 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 01 इकाई का प्रस्ताव प्राप्त है। इस प्रकार कुल 03 इकाईयों में से मात्र 02 इकाई का ही बैंक ऋण स्वीकृत है। वर्ष 2015–16 में 10 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष्य 02 इकाईयों का ऋण स्वीकृत हुआ है। 30 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष 06 प्रस्ताव प्राप्त हुये जिनमें से बैंक द्वारा 02 इकाईयों का ऋण स्वीकृत हुआ। इस कार्यक्रम को गति देने के लिये और सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

3– कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना

वर्तमान में कार्यरत 11 कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा एक बटेर प्रक्षेत्र पर निम्नवत पक्षियों को रखे जाने की क्षमता है :–

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	क्षमता
1	बाबूगढ़, गाजियाबाद	3000
2	चकगंजरिया, लखनऊ (निबलेट–बाराबंकी)	3000
3	वाराणसी	2000

4	भोजीपुरा बरेली	2000
5	भरारी झांसी	2000
6	गोण्डा	2000
7	फैजाबाद	1000
8	बिचपुरी आगरा	2000
9	मिर्जापुर	2000
10	मुरादाबाद	2000
11	इटावा	2000
	कुल 11 प्रक्षेत्र	**23000 पक्षियों की कुल संख्**

4— राजकीय बटेर प्रजनन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया, लखनऊ **500**

इन प्रक्षेत्रों/हैचरियों पर पैरेन्टस पक्षियों की व्यवस्था तथा उनके आहार एवं रख—रखाव आदि की व्यवस्था रिवाल्विंग फण्ड/आयोजनेत्तर पक्ष से स्वीकृत धनराशि से किया जाता है।

5— 30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण

प्रदेश में एक मात्र महानगर, लखनऊ प्रखेत्र पर एक कुक्कुट पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनेत्तर पक्ष से संचालित है। इसके अन्तर्गत सेवाकालीन पशुधन प्रसार अधिकारियों तथा निजी क्षेत्र के कुक्कुट पालको को कुक्कुट प्रशिक्षण दिया जाता है। गत वर्ष 2014—15 में कुल 86 विभागीय एवं गैर विभागीय कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2015—16 में अगस्त 2015 से प्रथम सत्र चलाया जा रहा है जिसमें 30 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

6— आहार परीक्षण प्रयोगशाला :—

कुक्कुट पालन में कुक्कुट आहार की गुणवत्ता का विशेष महत्व है। आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लखनऊ में निदेशालय परिसर में एक आहार परीक्षण प्रयोगशाला आयोजनेत्तर मद में कार्यरत है, जहॉ पर अप्राक्सीमेट प्रिन्सेपल के आधार पर आहार में नमी, फूड प्रोटीन, ईथर इक्सट्रेट, टोटल एयर, एसिड इनसाल्यूबिन एश तथा कार्बोहाइड्रेड बाई डिफरेन्स यूरिया एवं अफ्लाटाक्सिन जॉच करने की व्यवस्था हैं। वर्ष 2014—15 में कुल 272 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 में सितम्बर 2015 तक 121 नमूनों का विशलेषण किया गया । अब इस प्रयोगशाला पर अफ्लाटाक्सिन डिटेक्शन की भी व्यवस्था हो गई है।

नई कृषि नीति के अन्तर्गत प्रदेश में आहार रेगुलेशन एक्ट को प्रभावी बनाने हेतु निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत इस प्रयोगशाला को आयोजनेत्तर मद से आटोएनेलाइजर के साथ आधुनिक बनाये जाने का प्रस्ताव है।

7— कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला :—

प्रदेश में कुक्कुट विकास के साथ—साथ कुक्कुट पक्षियों में नये—नये रोगों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी स्थिति में कुक्कुट व्यवसाय को लाभकारी बनाने के दृष्टिकोण से कुक्कुट पक्षियों को होने वाले रोगों का निदान अतिआवश्यक और महत्वपूर्ण है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में निदेशालय परिसर में एक कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला कार्यरत हैं। इसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की व्यवस्था राष्ट्रीय महत्ता के कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला में कुक्कुट शव विच्छेदन भी किया जाता है। वर्ष 2014—15 में कुल 155 शव विच्छेदन प्रयोगशाला में किये गये। चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 में सितम्बर, 2015 तक 57 शव विच्छेदन किये गये।

8— सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला :—

वर्तमान में प्रदेश के अन्तर्गत सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला के रूप में 10 इकाईयॉ मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, वाराणसी, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, बरेली में स्थापित हैं। इन सचल प्रयोगशालाओं की स्थापना निजी प्रक्षेत्रों/कुक्कुट पालकों के फार्मो पर पक्षियों की विभिन्न बीमारियों की जॉच तथा निदान के फलस्वरूप रोकथाम के सुझाव देने के उद्देश्य से की गई है, ताकि निजी कुक्कुट पालकों की कुक्कुट रोग विषयक समस्याओं का निदान कर इससे कुक्कुट विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रयोगशाला में कार्यरत विशेषज्ञ/कर्मी कुक्कुट पालकों के द्वार पर जाकर कुक्कुट रोगों की जॉच कर निदान सम्बन्धी सुझाव देते हैं।

9— साल्मोनेला पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल प्रयोगशाला

वर्ष 1998—99 में 2 पुलोरम डिजीज यूनिट क्रमशः वाराणसी एवं मुरादाबाद में स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई, जो संचालित है। इन प्रयोगशालाओं में निजी प्रक्षेत्रों एवं कुक्कुट पालकों के फार्म पर पालें जा रहें पक्षियों में साल्मोनेला पुलोरम कलर एन्टीजन द्वारा पुलोरम डिजीज की जांच की जाती है एवं कुक्कुट पालकों कों इस बीमारी से बचाव हेतु सुझाव एवं उपचार भी दियें जाते है।

10— बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (रा0यो0/एस0सी0पी0/समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित)

यह अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है, जो समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करके उन्हे कुक्कुट पालन ट्रेड में एक सप्ताह का प्रशिक्षण समीप के पशुचिकित्सालय पर दिया जाता है। उन्हे 50 चूजों की एक इकाई खुलवाई जाती है। प्रति इकाई रू0 3000.00 मात्र का पैकेज व्यय आता है, जो पूर्णतया अनुदान है। पैकेज के अन्तर्गत 50 चूजे, कुक्कुट आहार, दवा, छप्पर की व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं चूजों का लाभार्थी के द्वार तक यातायात सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2013—14 में भी 30700 इकाईयां खोले जाने का लक्ष्य था। (प्रति जनपद 390 कुक्कुट इकाई) इसके सापेक्ष्य शतप्रतिशत 30700 इकाईयां खोली गई। चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 में 30000 इकाईयां खोले जाने का लक्ष्य था। प्रदेश के समस्त जनपदों में (जनपदवार) निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की शत—प्रतिशत पूर्ति कर ली गई है तथा अनुसूचिज जाति के निर्धन /गरीब लाभार्थियों अवस्थापना कर रोजगार का सृजन किया गया।

वर्ष 2015—16 में योजना में प्राविधानित धनराशि रु0 900.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत कर दी गई हैं तथा प्रदेश के समस्त जनपदों के लिये निर्धारित लक्ष्य 30000 कुक्कुट इकाईयां खोली गयी है तथा माह सितम्बर 2015 तक मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा रु0 279.85 लाख का व्यय सुनिश्चित कर दिया गया है जो कुल धनराशि का 31.89 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

11. रुरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (100 प्रति□ात केन्द्र पोषित)

यह 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित बी0पी0एल0 लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है। (2015–16) इसके अन्तर्गत मदर यूनिट खोल कर प्रति मदर यूनिट से 300 बी0पी0एल0 लाभार्थियों को लिंक करके प्रति लाभार्थी 45 एक माह के चूजे दिये जाते हैं। वर्ष 2014–15 से भारत सरकार ने यह योजना एन0एल0एम0 (नेशनल लाइव स्टाक मिशन) अर्न्तगत संचालित किया है। वर्ष 2014–15 के लिये 15 जनपदो में 107 मदर यूनिट स्थापित कर 32100 बी0पी0एल0 लाभार्थियों को 14.445 लाख 28 दिवसीय चूजे वितरित कर लाभान्वित किया जाना था परन्तु राज्य सरकार द्वारा अनुदान सं0–83 अर्न्तगत बजट प्राविधान न होने के कारण बजट उपयोग नही किया जा सका। वर्ष 2015–16 में भारत सरकार के निर्देशानुसार 100 मदर यूनिट का प्रस्ताव बनाकर 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजनार्न्तगत भेजा जा रहा है। इसके साथ शेल्टर /आहार के लिये रु0 1500.00 प्रति लाभार्थी भी दिया जाता है। प्रति मदर यूनिट स्थापना के लिये रु0 60000.00 का अनुदान है।

प्रक्रियात्मक रणनीति :–

कुक्कुट विकास कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में बैकयार्ड पोल्ट्री को विकसित करने तथा निजी क्षेत्र के बड़े कुक्कुट उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निम्न रणनीति बनायी गयी है :–

1– प्रमुख कार्यक्रमों का लक्ष्यों का वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक निर्धारण पर नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन कर कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के निस्तारण पर बल दिया गया है ।

2– कुक्कुट स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित संक्रामक रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण तथा न्यू इमरजिंग डिजीज के रोग निदान की सुविधा कुक्कुट पालकों के द्वार पर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है ।

3– प्रक्षेत्र में कुक्कुट विकास को गति देने के उददेश्य से प्रत्येक जनपद में एक कुक्कुट प्रोग्राम अधिकारी नियुक्त किया गया है जो उद्यमियों को इस व्यवसाय में आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे।

4– बर्ड फलू से बचाव हेतु आवश्यक उपाय किए गये है।

सारांश वित्तीय आव□यकताओं का औचित्य कुक्कुट विकास कार्यक्रम

(रु0लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम विवरण	2014–15 की वास्तविकता		2015–16 अनुमानित पूर्ति माह सितम्बर, 2015 तक		2015–16 का अनुमान
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	9
1	प्रक्षेत्रों पर रखें गये प्रजनन योग्य कुक्कुट पक्षी	0.230	20995	0.230	0.11562	0.230
	उत्पादित अण्ड़े	34.50	1144891	34.50	4.45999	34.50

	उत्पादित चूजे	20.70	4.2439	20.70	0.83642	20.70
2.	तीस दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण	125	86	125	30	125
3.	आहार विश्लेषण	500	272	500	121	500

नोट– वर्ष 2014–15 में प्रक्षेत्रों की मांग के अनुरुप बजट प्राप्त न होने के कारण लक्ष्य के सापेक्ष्य प्रगति कम रही तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, मिर्जापुर, गोण्डा, मुरादाबाद, फैजाबाद, झांसी एवं चकगंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी में पैरेन्ट स्टाक हेतु बजट उपलब्ध न होने के कारण नही पाले जा रहे हैं। जिस कारण लक्ष्यों के अनुरुप प्रगति कम है।

7–भेड़ तथा ऊन विकास

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
भेड. तथा ऊन विकास	–	–	–	39.66	–	39.66
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
भेड. तथा ऊन विकास	39.66	–	39.66	4.00	–	4.00

परिचयात्मक :–

1– प्रदेश में भेड़ एवं ऊन विकास का मूल उद्देश्य कार्पेट योग्य मीडियम कोर्स ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना।

2– भेड़ पालको के आर्थिक स्तर को उन्नतशील बनाना व कार्पेट निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन।

3– ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

भेड़ विकास कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

मद विवरण	2014–15		2015–16		2016–17
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति (माह जून, 2015 तक)	अनुमानित लक्ष्य
1.भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की सं0–2					
उपलब्ध नर मेड.ा–173					
उपलब्ध मादा भेडे–1376					
क. उत्पन्न. संतति	1150	290	1150	38	1150
ख. प्रजनन हेतु वितरित नर/मादा बच्चे	570	403	570	13	570
2. भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र–180					
मेढ़ा केन्द्र–5					
प्रजनन हेतु वितरित मेढो की संख्या –1744					
क. गर्भित भेड़ों की संख्या	330000	273000	330000	24530	330000
ख उत्पन्न संतति	230000	227590	230000	18138	230000
ग. दवापान	400000	448790	400000	115274	400000
घ. चिकित्सा	260000	264978	260000	5378	260000

भेड विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2015–16

क्र0 सं0	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य 2016–17	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास
1.	भेड प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित भेड़ों की सं0	1080	270	270	270	270
ख	उत्पन्न संतति सं0	1150	287	287	288	288
ग	प्रजनन हेतु वितरित बच्चे	570	143	143	142	142

क्र0 सं0	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य 2016–17	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास
1.	**भेड़ एवं ऊन प्रसार/मेढ़ा केन्द्र**					
क	गर्भित भेंड़ों की सं0	330000	82500	82500	82500	82500
ख	उत्पन्न संतति की सं0	230000	57500	57500	57500	57500
ग	दवापान	400000	100000	100000	100000	100000
घ	चिकित्सा	260000	65000	65000	65000	65000

8–सूकर विकास एवं बकरी विकास

सूकर विकास

परिचयात्मक :–

1– मानव खाद्य योग्य पदार्थो का आहार व मानव उपयोग हेतु पशुजन्य प्रोटीन युक्त उत्तम सामिष आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूकर पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाना तथा उन्नत प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराकर देशी प्रजाति में संकर प्रजनन कराकर मांस उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि करना।

2– ग्रामीण परिवेश में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

3– निर्बल एवं उपेक्षित वर्ग का आर्थिक उन्नयन करना।

सूकर विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र0	मद विवरण	2014–15		2015–16		2016–17
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति (माह 25, अगस्त 2015 तक)	अनुमानित लक्ष्य
1	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों की सं0–6, उपलब्ध पशु नर 28, मादा 280					
क	उत्पन्न संतति	1920	1480	1920	446	1920
ख	प्रजनन हेतु वितरित शूकर शावक	1350	1156	1350	224	1350

2	सूकर विकास खण्ड–34					
	नर सूकरयुक्त प0चि0 की सं0–415					
क	गर्भित सूकरियों की संख्या	22500	16250	22500	1265	22500
ख	उत्पन्न संतति	82500	18520	82500	3052	82500

सूकर विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2016–17

क0	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0 त्रैमास	द्वि0 त्रैमास	तृ0 त्रैमास	च0 त्रैमास
1	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित सूकरियों की सं0	300	75	75	75	75
ख	उत्पन्न संतति	1920	480	480	480	480
ग	प्रजनन हेतु वितरित शूकर शावक	1350	327	327	328	328
2	सूकर विकास खण्ड–नर सूकरयुक्त पशुचिकित्सालय					
क	गर्भित सूकरियों की सं0	22500	5625	5625	5625	5625
ख	उत्पन्न संतति	82500	20625	20625	20625	20625

बकरी विकास

परिचयात्मक :–

1. समाज के निर्बल आय वर्ग के आर्थिक उन्नयन हेतु परम्परागत सह–उद्योग के रूप में विकसित किया जाना।
2. ग्रामीण परिवेश में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।
3. मानव उपयोग हेतु बकरी जन्य प्रदार्थो यथा मांस एव दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

बकरी विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क0	कार्य विवरण	2014–15		2015–16		2016–17
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	अनु0पूर्ति (माह जून 2015 तक)	अनुमानित लक्ष्य
1	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की सं0–6 उपलब्ध पशु नर–86, मादा–529					
क	उत्पन्न संतति	325	229	325	58	325
ख	प्रजनन कार्य हेतु वितरित बच्चे	170	288	170	28	170
2	नर बकरा युक्त प0चि0 की सं0–1141					
क	गर्भित बकरियों की सं0	170000	15646	170000	1258	170000
ख	उत्पन्न संतति	180000	12517	180000	865	180000

बकरी विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2016–17

क्र. सं.	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0 त्रैमास	द्वि0 त्रैमास	तृ0 त्रैमास	च0 त्रैमास
1	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित बकरीयों की संख्या	325	81	81	81	82
ख	उत्पन्न संतति	300	75	75	75	75
ग	प्रजनन कार्य हेतु	170	42	42	43	43

	वितरित बच्चे					
2	नर बकरा युक्त पशु चिकिसालय					
क	गर्भित बकरियों की संख्या	170000	42500	42500	42500	42500
ख	उत्पन्न संतति	180000	45000	45000	45000	45000

9–अन्य पशुधन विकास

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
अन्य पशुधन विकास	13.50	3012.64	3026.14	526.00	3161.32	3687.32
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
अन्य पशुधन विकास	526.00	2967.91	3493.91	207.00	3395.73	3602.73

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र

परिचयात्मक एवं उद्देश्य :–

उ0 प्र0 पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 10 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र कार्यरत हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैः

1. भारतीय मूल के गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना।

2. भारतीय मूल के उन्नतशील नस्ल के सांडों का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालको को प्रजनन हेतु सांडों को उपलब्ध कराना।
3. उन्नतशील प्रजाति के आधारीय तथा प्रमाणित चारा बीजो का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

10 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों में से 9 प्रक्षेत्र शासन द्वारा वाणिज्यिक एवं एक प्रक्षेत्र अवाणिज्यिक घोषित है। प्रक्षेत्रों पर चल रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है–

क0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	वाणि0 / अवाणि0	चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण
1	2	3	4
1	आराजीलाइन्स, वाराणसी	वाणिज्यिक	गंगा तीरी गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन
2	बाबूगढ़, गाजियाबाद	तदैव	हरियाणा गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन
3	भरारी, झांसी	तदैव	थारपारकर गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन
4	चकगंजरिया स्थान निबलेट बाराबंकी	तदैव	साहीवाल गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन।
5	हस्तिनापुर, मेरठ	तदैव	हरियाना गायों एवं मुर्रा भैसों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।
6	मंझरा, लखीमपुरखीरी	तदैव	मुर्रा भैंसों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन
7	निबलेट, बाराबंकी	तदैव	चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।
8	कमियार–बाराबंकी		कमियार प्रक्षेत्र का संचालन निबलेट प्रक्षेत्र द्वारा किया जाता हैं। यह प्रक्षेत्र बाढ. ग्रसित क्षेत्र है यहॉ पर जल भराव होने के कारण केवल रवी फसलों के अर्न्तगत रवी चारा बीज की फसलें ली जाती हैं। यहॉ पर कोई भी पशु नही पाले जा रहे हैं। प्रक्षेत्र पर कोई भी आवासीय एवं अनावासीय भवन नही है।
9	नीलगांव, सीतापुर	तदैव	हरियाना गायों एवं मुर्रा भैंसों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।

10	सैदपुर, ललितपुर	तदैव	हरियाणा गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।
11	आटा, जालौन	अवाणिज्यिक	विभिन्न नस्लों के गो एवं महिषंवशीय नर बच्चों का सांड़ हेतु सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार फसलों की बुआई एवं उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

(हक्टेयर में)

क्र0 सं0	फसल का नाम क्षेत्र आच्छादन का विवरण	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 (दि0 15.07.2015 तक)			वर्ष 2016–17 का अनुमानित		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	जायद/खरीफ चारा	659.00	636.70	–22.30	540.00	477.00	–63.00 बुआई का कार्य चल रहा है।	540.00	–	–
2	रवी चारा	350.00	350.00	–	290.00	–		290..00	–	–
3	खरीफ चारा बीज	805.00	738.77	–66.23	780.00	670.00	–109.60	780.00	–	–
4	रवी चारा बीज	860.00	853.79	–06.21	896.00	–	बुआई का कार्य चल रहा है।	896.00	–	–
	योग	**2674.00**	**2579.66**	**–94.74**	**2506.00**	**1147.40**		**2506.00**	–	–

(ब) चारा उत्पादन का वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि

(क) हरा चारा

(टन में)

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 (दि0 15.07.2015 तक)			वर्ष 2016–17 का अनुमानित		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	जायद / खरीफ चारा	21270.00	13919.18	–7350.82	17400.00	2080.44	चारा फसल से उत्पादन किया जा रहा है।	17400.00	–	–
2	रवी चारा	14875.00	10347.77	–4527.23	12750.00	–		12750.00	–	–
	योग	**36145.00**	**24266.95**	**–11878.05**	**30150.00**	**2080.44**		**30150.00**	–	–

(ख)सूखा चारा

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 (दि0 15.07.2015 तक)			वर्ष 2016–17 का अनुमानित		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	खरीफ सूखा चारा	2111.00	581.83	–1529.17	2100.00	–	–	2100.00	–	–
2	रवी सूखा चारा	3095.00	1250.15	–1844.85	3269.00	–	–	3269.00	–	–
	योग	**5206.00**	**1831.98**	**–3374.02**	**5369.00**	–	–	**5369.00**	–	–

(ग) बीज

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 (दि0 15.07.2015 तक)			वर्ष 2016–17 का अनुमानित		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	खरीफ बीज	483.00	85.53	–397.47	468.00	–	–	468.00	–	–
2	रवी बीज	1215.00	665.40	–550.00	1286.00	–	–	1286.00	–	–

	योग	**1698.00**	750.93	**–947.47**	**1754.00**	–	–	**1754.00**	–	–

वर्शवार दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि
(दूध उत्पादन लीटर में)

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 (06/2015 तक)			वर्ष 2016–17 का अनुमानित		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	अराजीलाइन्स वाराणसी	110000	63910	–46090	60000	14789	–45211	60000	–	–
2	बाबूगढ़ गाजियाबाद	169000	159230.50	–9769.50	106600	25085.50	–81514.50	106600	–	–
3	भरारी झांसी	124800	93862.50	–30937.50	128000	24584.50	–103415.50	128000	–	–
4	चकगंजरिया स्थान निबलेट बाराबंकी	268000	142925.50	–125074.50	175000	37045	–137955	175000	–	–
5	हस्तिनापुर मेरठ	150000	64184	–85816	80000	16825.20	–63174.80	80000	–	–
6	मँझरा खीरी	131000	110608.25	–20391.75	94000	13687.25	–80312.75	94000	–	–
7	निबलेट बाराबंकी	30000	9372.70	–20627.30	–	–	–	–	–	–
8	नीलगाँव सीतापुर	77000	34129.50	–42870.50	59150	1938	–57912	59150	–	–
9	सैदपुर ललितपुर	218000	116198.50	–101801.50	201500	35934	–165566	201500	–	–
10	आटा जालौन	बुल रियरिंग केन्द्र पर दुधारु पशु नही पाले जाते है।								

	योग	**1277800**	**794421.45**	**-483378.55**	**904250**	**169888.45**	**-734361.55**	**904250**	–	–

वर्शवार साड. उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	वर्ष 2014–15			वर्ष 2015–16 (06/2015 तक)			वर्ष 2016–17 का अनुमानित		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	अराजीलाइन्स वाराणसी	26	33	7	25	–	–	25	–	–
2	बाबूगढ़ गाजियाबाद	39	47	8	50	–	–	50	–	–
3	भरारी झांसी	29	32	3	31	–	–	31	–	–
4	चकगंजरिया स्थान निबलेट बाराबंकी	56	52	–4	50	–	–	50	–	–
5	हस्तिनापुर मेरठ	36	39	3	38	–	–	38	–	–
6	मँझरा खीरी	28	39	11	38	–	–	38	–	–
7	निबलेट बाराबंकी	–	-	–	–	–	–	–	–	–
8	नीलगाँव सीतापुर	28	14	–14	26	–	–	26	–	–
9	सैदपुर ललितपुर	51	69	18	38	–	–	38	–	–
10	आटा जालौन	बुल रियरिंग केन्द्र पर दुधारु पशु नही पाले जाते है।								
	योग	**283**	**325**	**42**	**296**	–	–	**296**	–	–

चारा तथा चारागाह विकासः–

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण वित्तीय मांगः–

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
	3.50	–	3.50	1049.44	–	1049.44
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना	1049.44	–	1049.44	479.60	–	479.60

1– परिचयात्मक उद्देश्यः–

पशुओं के संतुलित आहार में चारे का महत्वपूर्ण स्थान है। चारे के अभाव में पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता अत्यन्त प्रभावी ढ़ग से कम होकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त पशुओं को पौष्टिक चारा मानक के अनुरूप उपलब्ध न होने के दशा में उनके शारीरिक गुणों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक चारें के अभाव में पशुओं के प्रथम व्यात की आयु में बढ़ोत्तरी, दो व्यातों में मध्यान्तर अधिक होना, बांझपन, अंधापन तथा अन्य बीमारियों तथा प्रतिरोधक क्षमता में कमी की सम्भावना बनी रहती है।

पशुओं के स्वास्थ्य एवं उनकी उत्पादकता तथा प्रतिरोधक बनाए रखने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से कृषकों उन्नतिशील प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराना तथा अपौष्टिक चारें एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना एवं कुट्टी काटकर चारा आपूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में पशुओं के आहार पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(अ) राज्य योजनाएंः–

1– चारा एवं चारागाह विकास की योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट (जिला योजना)।

2– अपौष्टिक चारें एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (राज्य योजना)।

(ब) केन्द्र पोषित योजनाएंः–

1– परती (वेस्ट लैण्ड)/गोचर भूमि पर चरागाह विकास की योजना (100 प्रतिशत के0पो0)।

2– हस्त चालित कुट्टी काटने की मशीन वितरण की योजना (75 प्रतिशत केन्द्र 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश)।

3– शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन वितरण की योजना (50 प्रतिशत के0पो0 50 प्रतिशत लाभार्थी अंश)।

(स) राज्य योजनाएंः–

1– चारा एवं चरागाह विकास की योजना (जि0यो0):–

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों/लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जायेगा। प्रदेश के समस्त जनपदों में योजना का संचालन किया जायेगा। योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से उन्नतशील प्रमाणित चारा बीजों को क्रय कर अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के कृषकों/पशुपालकों को 50 प्रतिशत कास्ट अनुदान तथा 50 प्रतिशत कास्ट रिकवरी के आधार पर चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा। कास्ट रिकवरी से प्राप्त धनराशि को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

2– अपौष्टिक चारें एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (राज्य योजना):–

इस योजनान्तर्गत प्रदेश के सूखे चारे की कमी को पूरा करने के लिए अनुपयोगी चारे को पौष्टिक बनाकर पशुओं को खिलाए जाने की योजना है। वर्तमान में प्रदेश में हरा चारा का उत्पादन/उपलब्धता एवं आवश्यकता में बहुत गैप है। अतः ऐसे पशुओं को पौष्टिक चारें की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रश्नगत योजना का संचालन किया जाना आवश्यक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रश्नगत योजना का संचालन किया जा रहा है, परन्तु वित्तीय स्वीकृत वर्तमान समय तक शासन से निर्गत नही हुयी है। यह योजना पूर्णतयाः राज्य योजना द्वारा संचालित की जायेगी।

योजना का उद्देश्यः–

पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन के लिए हरा चारा व पशु आहार एक आदर्श भोजन है, किन्तु हरे चारें का वर्षभर उपलब्ध न होना तथा पशु आहार का मूल्य अधिक होना, पशुपालकों के लिए एक समस्या है, सामान्यतः धान व गेहूँ का भूसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है, लेकिन भूसे में पौष्टिक तत्व बहुत कम होते है। (प्रोटीन 04 प्रतिशत से भी कम) भूसे का यूरिया से उपचार करने से पौष्टिकता बढ़ती है, और प्रोटीन की मात्रा उपचारित भूसे में लगभग 09 प्रतिशत हो जाती है। इसके नियमित प्रयोग से पशु आहार की मात्रा में 30 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है। अतः प्रश्नगत योजना का संचालन प्रदर्शन के रूप में करके पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने एवं अपनाकर पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु चलाया जाना।

(ब) केन्द्र पोषित योजनाएंः–

1– परती (वेस्ट लैण्ड)/गोचर भूमि पर चरागाह विकास की योजना (100प्रतिशत के0पो0):–

इस योजनान्तर्गत ग्राम समाज की परती भूमि गो सदनो/गोशालाओं की भूमि तथा विभाग के प्रक्षेत्रों की भूमि को समतलीकरण कर उन्नतशील चारेगाहों का विकास किया जाता है। यह योजना भारत सरकार से एक भाग में संचालित की जाती है, परन्तु प्रदेश सरकार से इसके संचालन में दो भागों में आवंटित कर प्रथम भाग राजस्व मद तथा द्वितीय भाग पूजींगत मद है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2015–16 में राजस्व मद में कार्य किया जाना है पूर्व वित्तीय वर्षो में पूंजीमद का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, राजस्व मद में रू0 28,00,000.00 का कार्य किया जाना अवशेष है।

योजना का उद्देश्यः–

प्रश्नगत योजना अन्तर्गत ग्राम समाज की परती भूमि जो चरागाहों हेतु आरक्षित है, परन्तु अनुपयोगी पड़ी हुयी है तथा गो सदनों/गोशालाओं तथा विभाग के राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि जो अनुपयोगी पड़ी हुयी है को समतलीकरण कर सिंचाई सुविधाओं इत्यादि से व्यवस्थित करके उन्नतशील चरागाहों का विकास किया जाता है, इसके अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि की एक यूनिट (10 हे0 भूमि) की रू0 10.00 लाख तथा गो सदनों/गोशालाओं तथा विभागीय प्रक्षेत्रों को एक यूनिट (10 हे0 भूमि) की रू0 6.50 लाख में विकसित किये जाने की योजना है। प्रश्नगत चरागाह विकसित हो जाने के पश्चात् वर्षभर हरा चारा उत्पादित हागा, जिसे खिलाने/चराने से पशुओं के स्वास्थ्य एवं उपादकता में वृद्धि होगी ।

2— हस्तचालित कुट्टी काटने की मशीन का वितरण की योजना (75 प्रतिशत के0पो0 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश)(नेशनल लाइव स्टाक मिशन अन्तर्गत):—

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों अनुपयोगी सूखे चारें के उपयोगी बनाने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान कर हस्तचालित कुट्टी काटने के मशीन का वितरण किया जाना है, जिससे सूखे चारें के गैप को कम किया जा सके, तथा चारें की लागत में भी कमी की जा सके तथा प्रदेश में अनुपयोगी सूखे चारें को उपयोग में लाया जा सके तथा सूखे चारें से उत्पन्न गैप को भी कम किया जा सके। इसमें अतिरिक्त पशुपालकों को चारें की लागत में कमी भी लायी जा सके। प्रश्नगत योजना से जब सूखे चारे का गैप कम हो तो प्रदेश के पशुओं को सम्पूर्ण रूप से खिलाई करके पालन पोषण में उत्पन्न हो रही कठिनाई से पशुपालकों को बचाया जा सकेगा।

योजना का उद्देश्यः—

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों को अनुपयोगी चारें को उपयोग कर लिये जाने के उद्देश्य से हस्तचालित कुट्टी मशीन का वितरण कर सूखे चारें की लागत में कमी लाने तथा सूखे चारे के गैप को समाप्त किया जा सकें। इसके अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध है परन्तु वित्तीय स्वीकृति उ0प्र0 शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना का उद्देश्य पूर्ण रूप से कर लिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015—16 में 5515 लाभार्थियों को हस्त चालित कुट्टी काटने की मशीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

3— शक्तिचालित कुट्टी काटने की मशीन के वितरण की योजना (50 प्रतिशत के0पो0 50 प्रतिशत लाभार्थी अंश):—

इस योजना अन्तर्गत, प्रदेश के पशुपालकों 50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान तथा 50 प्रतिशत लाभार्थी अंश के माध्यम से शक्ति चालित कृट्टी काटने की मशीन का वितरण किया जायेगा। इसके वितरण से सूखा चारा जो अनुपयोगी हो जाता है उसे कुट्टी काटकर उपयोगी बनाकर पशुओं को खिलाया जा सकेगा। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015—16 में 628 लाभार्थियों को शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

योजना का उद्देश्यः—

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पशुपालकों को शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन का वितरण कर अनुपयोगी चारें को महीन कुट्टी बनाकर उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाना है। जिससे अनुपयोगी सूखे चारें का उपयोग हो सके।

11–प्रसार तथा प्रशिक्षण

पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय मॉग धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
प्रसार तथा प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	–
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
प्रसार तथा प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	–

परिचयात्मक / उद्देश्यः–

प्रदेश में संचालित विभिन्न पशुपालन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकी को ग्राह्य करवाना तथा जन सामान्य को पशुधन प्रदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना है। इसके साथ ही प्राचीन रूढ़ियों को समाप्त कर पशुपालन के विभिन्न आयामों को लाभप्रद दिशा प्रदान करना है।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्यक्रम निर्धारित है :–

1. अखिल भारतीय पशुधन एवं कुक्कुट प्रर्दशनी तथा अन्य पशुधन प्रर्दशनियों में भाग लेना।
2. मण्डल / जनपद स्तर की पशुधन प्रदर्शनियों, कॉफरैली, पशुपालन गोष्ठियों का आयोजन।
3. प्रचार–प्रसार, साहित्य का प्रकाशन, प्रेक्ष्य निर्माण एवं प्रदर्शन आदि।
4. गोष्ठी, पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

कार्यक्रम	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1–पशु प्रदर्शनियाँ एवं कॉफरैलियाँ	72	72	75	75	75	-	75	-
2–पशुपालक गोष्ठियाँ	72	72	75	75	75	-	75	-
3–पशुपालक प्रशिक्षण	820	770	820	820	-	-	-	-
4–मण्डप निर्माण (राज्य स्तरीय)	2	2	2	2	2	-	2	-
5 –साहित्य प्रकाशन	15	15	15	10	15	-	15	-

प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र0 सं0	प्रशिक्षण का नाम	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17 अनुमान
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1.	चकगंजरिया में कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत 1 मासिक प्रशिक्षण	125	141	125	86	125	30	125
2.	सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र अलीगढ़ में 10 द्विवसीय सूकर पालन प्रशिक्षण	525	363	525	243	525	77	525

12–प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी
वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी	1635.71	–	1635.71	367.60	–	367.60
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी	751.46	–	751.46	230.18	–	230.18

परिचयात्मक / उद्देश्यः–

1– पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन एवं अनुश्रवण तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुगणना कराना एवं आंकड़ों का विश्लेषण कर उपयोगी बनाना एवं रख–रखाव करना।

2– राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों की गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के प्रजनन आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा राज्य में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान हेतु रखे गये सांड़ों के अभिलेख का रख–रखाव करना।

3– विभागीय योजनाओं से संम्बन्धित आकड़ों के त्वरित विश्लेषण हेतु कम्प्यूटर सेल की स्थापना।

4– वार्षिक सर्वेक्षण की जनपदवार योजना (भारत सरकार की 50 प्रतिशत आयोजनागत योजना) के अन्तर्गत पशुजन्य पदार्थों यथा–दूध, अण्डा, ऊन एवं माँस उत्पादन के अनुमानों को तैयार कर प्रकाशित कराना तथा पशुधन की प्रबन्ध प्रणालियों का अध्ययन करना।

पद्धतिः–

1– आयोजनेत्तर योजना में जनपदों से प्राप्त विभागीय आधारभूत आकड़े एवं विकास कार्यक्रमों की प्रगति के आकड़ों का जनपदवार / मण्डलवार / राज्य स्तरीय गणना करना तथा पशुगणना के आकड़ो का रख–रखाव किया जाता है ।

2– आयोजनेत्तर योजना में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों पर विद्यमान गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के जातिवार प्रजनन आंकड़ों को एकत्र कर विभिन्न आर्थिक गुणकों की गणना कर उनका विश्लेषण किया जाता है।

वार्षिक सर्वेक्षण योजना भारत सरकार की 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित आयोजनागत योजना है, जिसमें जनपदवार पशु जन्य पदार्थो के उत्पादन (यथा दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस) के अनुमानों को अनुमानित करना होता है। इनके त्वरित विश्लेषण हेतु तीसरी योजना का विकास किया गया था, परन्तु प्रोग्रामर की पदस्थापना न होने के कारण त्वरित अनुमान नहीं निकाले जा सके, बल्कि नियुक्त क्षेत्र स्टाफ से मैनुअली अनुमान निकाले जाते हैं, जिनका क्षेत्र से नियमित अनुश्रवण एवं विश्लेषण करने के कारण काफी समय लग जाता है। इस योजना में प्रत्येक ऋतु में पशुधन संख्या के अनुमानों हेतु 15 प्रतिशत ग्रामों का चयन किया जाता है तथा पशुजन्य पदार्थो के उत्पादन के जनपदवार अनुमानों की गणना तथा पशुओं की प्रबंध प्रणालियों के अध्ययन हेतु 5/10 ग्रामों का रेण्डम विधि से चयन कर क्षेत्रीय कार्य प्रदेश के जनपदों में पदस्थ सांख्यकीय कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है तथा प्रदेश स्तर का आंकड़ो का विश्लेषण कर अनुमान तैयार कर प्रकाशित कराये जाते हैं।

वर्ष 2014–15 में किये गये कार्यः–

1– विभागीय प्रगति पुस्तिका का प्रकाशन तथा आधारभूत आंकडों का संकलन एवं भौतिक लक्ष्य का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया गया।

2– 19वीं पशुगणना के आकड़ों को अंतिम रुप देते हुये भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया, तथा नस्लचार गणना के आकंड़ो को संशोधित कर कम्प्यूटरीकरण करने वाली संस्था को हस्तांतरित किया गया।

3– वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराया गया तथा अनुमानों को अन्तिम रुप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2015–16 में किये जा रहे कार्य :–

1– विभागीय प्रगति पुस्तिका का प्रकाशन तथा आधारभूत आंकडों का संकलन एवं भौतिक लक्ष्यों का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया गया।

2– नस्लवार पशुगणना के आकड.ो को अन्तिम रुप देते हुये भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया, तथा 20वीं पशुगणना की अनुसूचियों को तैयार किया जा रहा है।

3– वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराना तथा अनुमानों को अन्तिम रुप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2013–14 का प्रकाशन कराना।

4– राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष 2014–15 का प्रतिवेदन तैयार करना तथा 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सांडो के विवरण को अंकित करना।

वर्ष 2016–17 में किये जाने वाले कार्य :–

1– विभागीय प्रगति पुस्तिका का प्रकाशन तथा आधारभूत आकडों का संकलन एवं भौतिक लक्ष्य का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया जाना।

2– नस्लवार पशुगणना के आंकडो को अंतिम रुप प्रदान किया जाना, 20वीं पशुगणना की निर्देश पुस्तिका को अग्रेजी से क्षेत्रिय भाषा में अनुवाद कर तैयार कराना।

3– वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा अनुमानों को अंतिम रुप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2014–15 का प्रकाशन कराना।

4– राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष 2015–16 का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, तथा 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सांड़ों के विवरण की पुस्तिका तैयार की जायेगी।

13–अन्य व्यय

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग (धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान		
	2014–15			2015–16		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
अन्य व्यय	101.24	2482.95	2584.19	252.18	2610.00	2862.18
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	2015–16			2016–17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
अन्य व्यय	252.18	2921.33	3173.51	205.29	3503.90	3709.19

(अ) गौशाला विकास

पशुपालन विभागान्तर्गत वर्तमान में राज्य सेक्टर में गोसदनों एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत गौशालाओं के विकास एवं गोसेवा आयोग की स्थापना संबंधी योजनाओं के परिपेक्ष्य में निम्नांकित योजनायें चलाई जा रही हैः–

1– योजना का नाम :	**गोसदन/गोशालाओं के सुदृढ़ीकर.ण एवं स्थापना की योजना (राज्य योजना)**

योजना का उ्ददेश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थापित गोसदनों एवं गोशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर, उन पर संरक्षित एवं पकड़ कर लाये गये गोवंशीय पशुओं को संरक्षण प्रदान किया जाना है।गोसदनों में ऐसे पशुओं का संरक्षण करने के साथ ही उन्हें चरने हेतु चरागाह एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध निषेध संबंधी अधिनियम लागू है। अतः ऐसी स्थिति में अवैध परिवहन एवं वध हेतु ले जाते समय पकड़े गये गोवंशीय पशुओं को गौशालाओं/गोसदनों पर रखकर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है प्रदेश में गोसदनों की स्थापना कई वर्षो पूर्व होनें के कारण गौसदन भवन इत्यादि अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। इस प्रकार गौसदनों के सुदृढीकरण उनमें गौवंशीय पशुओं हेतु चरही नांद जल की व्यवस्था इत्यादि आवश्यक मूलभूत जरुरतों के दृष्टिगत धनराशि की आवश्यकता है। वर्ष 2015–16 हेतु रु0 740198.00 हजार का प्रस्ताव है।
2–योजना का नामः– **अ)योजना का उद्देश्य**	**<u>उ0प्र0 गोसेवा आयोग को सहायता दिया जाना</u>** प्रदेश में भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण/सम्बर्धन तथा विकास को सुनिश्चित करने,गो–कल्याण संबंधी अधिनियमों, उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 1999 में उ0प्र0 गोसेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग द्वारा गोशालाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा इन्हें सूत्रबद्ध करते हुये इनके कार्यकलापों में विविधीकरण लाते हुये गति प्रदान की जा रही है और इन्हें अर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने में पथ–प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत आयोग के कार्यालय के संचालन एवं कार्यकलापों के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग को सहायता दी जाती है। उ0प्र0 गोसेवा आयोग के कार्य संचालन के अर्न्तगत मुख्यताः कार्यालय के संचालन आयोग के मा0 अध्यक्ष्य महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्यों के यात्रा भत्ता, लेखन सामग्री, फार्मों की छपाई, टेलीफोन बिल एवं अन्य मशीनों एवं संयंत्रों का क्रम के साथ साथ व्यवसायिक और विशेष सुविधाऐं हेतु भुगतान इत्यादि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 10.00 लाख की धनराशि का प्रस्ताव शासन को

	प्रेषित किया गया था। वर्ष 2015–16 हेतु रु0 41.50 लाख का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में रु0 41.00 लाख के बजट का प्राविधान किया गया है।जिसके सापेक्ष रु0 20.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
3–योजना का नाम :–	**<u>गौशालाओं का सुधार (जिला योजना)</u>**
योजना का उद्देश्य	प्रदेश में स्थापित गौशालाओं का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण कर उन पर संरक्षित एवं पाले जा रहे पशुओं/गोवंश का संरक्षण–संवर्धन करने के साथ ही उन्हें उत्तम आहार–चारा, पेयजल की सुविधा तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना। साथ ही चूंकि सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध निषेध संबंधी अधिनियम लागू है। अतः ऐसी स्थिति में अवैध परिवहन एवं वध हेतु ले जाते समय पकड़े गये गोवंश/पशुओं को भी गौशालाओं/गोसदनों पर रखकर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है और उनके खानपान आदि की व्यवस्था की जाती है।

(ब) <u>चर्म शोधन एवं पशु शव के उपयोग</u>

<u>परिचयात्मक/उद्देश्य</u> :–

मृत पशुओं से वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिये पशुपालन विभाग द्वारा मृत पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पूर्ण उपयोग करने की योजना चलाई जा रही है । प्रायः मृत पशुओं की खाल उतारकर शेष पशुशव को यों ही छोड़ दिया जाता है जिससे वातावरण प्रदूषण के साथ ही पशुशव से प्राप्त हो सकने वाले अनेक उपयोगी पदार्थ भी नष्ट हो जाते है तथा पशु शव पर मडराने वाले पक्षियों से वायुयान दुर्घटनाओं की सम्भावना रहती है। मुख्यतः पशु शव से प्राप्त हड्डी से उर्वरक खाद, मांस से पौष्टिक कुक्कुट आहार, पूँछ के बाल से ब्रश, तांत से रैकेट, सींग व खुर से कंघी व बटन, चर्बी से साबुन आदि तथा प्राप्त चमड़े से बहुमूल्य उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं ।

चूँकि किसी उद्योग के लिये कुशल कारीगरी की अहम् भूमिका होती है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पशुपालन विभाग उ0प्र0 द्वारा चर्म से संबंधित प्रशिक्षण देने एवं चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के उद्देश्य से सन 1960 में आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ की स्थापना की गयी जिसका क्रियान्वयन आयोजनेत्तर योजना के अन्तर्गत होता है। इस केन्द्र पर निम्न प्रकार से प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्य किये जाते हैं:–

<u>प्रशिक्षण कार्य</u>:–

1– पशु शव उपयोग प्रशिक्षण
2– चर्म शोधन प्रशिक्षण
3– चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण

1– <u>पशु शव उपयोग प्रशिक्षण</u>

यह चार मासीय प्रशिक्षण है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को वैज्ञानिक ढंग से मृत पशुओं की खाल निकालने, खालों को सुरक्षित रखने, मीट कम–बोनमील बनाने तथा पशु शव के पूर्ण उपयोग करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें प्रत्येक बैच में 20 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 200/–प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

2– चर्म शोधन प्रशिक्षण

यह एक वर्षीय प्रशिक्षण है। इसमें खालों को रसायनों द्वारा वैज्ञानिक विधि से पकाकर चमड़ा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रत्येक बैच में 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 200/–प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

3– चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण,

यह भी एक वर्षीय प्रशिक्षण है। इसमें चमड़े का जूता, चप्पल, बेल्ट, लैदर बैग आदि के साथ–साथ चमड़े की अनेक उपयोगी वस्तुओं के बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रत्येक बैच में 20 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 200/–प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

उत्पादन कार्य

वर्ग 1–पशु शव उपयोग शाखाः– इस शाखा में मृत पशुओं से निम्नलिखित सामग्री का उत्पादन किया जाता है :–

1–खाल 2–मीट कम बोन मील 3–चर्बी 4–पूँछ के बाल 5–सींग

वर्ग 2–चर्म शोधन शाखाः– इस शाखा द्वारा खालों को रसायनों द्वारा पकाकर निम्न प्रकार के चमड़े तैयार किये जाते हैं :–

1–क्रोम लेदर 2–सोल 3–इनसोल 4–कटिंग स्लीपर

वर्ग 3–चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण शाखाः–

इस शाखा द्वारा चमड़े की निम्नलिखित सामग्री का उत्पादन किया जाता हैः–

1–जूता चप्पल 2–लेदर बैग 3–हैन्ड पर्स 4–बेल्ट 5–चमड़े की अन्य उपयोगी वस्तुए

प्रशिक्षण एवं उत्पादन की मद	वर्ष 2014–15 का वास्तविक	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17 का अनुमान	अभ्युक्ति
		अनुमानित	पुनरीक्षित		
वर्ग–1 पशु शव उपयोग शाखा					
1– उपयोग किये गये पशुओं की संख्या	235	250	200	200	मृत जानवरों की आमद व कुकरों की जीर्ण–शीर्ण दशा तथा कोयले की अन्य उपलब्धता (बजट) के कारण कार्य प्रभावी।
2– मीट कम बोन मील (कि0ग्रा0)	1734	2500	1500	2000	
3– चर्बी (कि0ग्रा0)	-	100	70	70	
4– मृत जानवरों के पूंछ के बाल (कि0ग्रा0)	1.000	1.500	1.000	1.000	
5–मृत जानवरों की सींग	70	80	60	60	

(जोड़ी में)					
प्रशिक्षण प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या (4 वर्षा में)	15	60	25	40	
वर्ग–2 चर्म शोधन शाखा					
1–बनस्पति शोधित (सोल/इनसोल/अपर) (कि0 ग्रा0)	43	50	13	45	पशु शव शाख से प्राप्त अच्छी खालों से आमद फृटवीयर शाखा में संसाधनों का अभाव एवं मशीनों का खराब होना व बजट में रसायनों की अनुपलब्धता अन्तर का कारण स्पष्ट कराता है।
2– क्रोम अपर लेदर (वर्ग डेसी मी0 में)	2550	7500	-	7000	
वर्ग –3 खालों का भोधन (अदद में) क– रेगुलर हाइड एण्ड स्किन	124	504	-	504	
ख– शिकारी स्किन संख्या में	-	15	-	15	
प्रशिक्षण प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की सं0 (वर्षा में)	13	20	16	20	
वर्ग–3 फुट वियर एण्ड लेदर गुड्स					
1– फुटवियर संख्या (जोड़ी) 2– लेदर गुड्स (अदद)	122 199	240 200	125 200	240 200	वर्ष 2015–16 के अनुमानित एवं पुनरीक्षित लक्ष्य के अन्तर का कारण वर्ग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की डयूटी बी0एल0ओ0 में है तथा प्रशिक्षार्थियों की संख्या 20 के स्थान पर 11 रह गयी है जिससे अन्तर आ रहा है।
प्रशिक्षण प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की सं0 (एक वर्षीय)	10	20	11	20	

विभिन्न कार्यक्रमों के अर्न्तगत विभागीय प्राप्तियॉ

(धनराशि रु0 हजार में)

	वास्तविक आंकडे 2014–15	आय अनुमान 2015–16	पुनरीक्षित आय 2015–16	आय अनुमान 2016–17
103–मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियाँ		.		
01–कुक्कुट प्रक्षेत्रों से प्राप्तियाँ	7150	11004	11004	10000
104–भेड एवं उन विकास से प्राप्तियाँ	631	1251	1251	1300
105–सूकर विकास से प्राप्तियाँ	1247	6052	6052	5500
106–चारा दाना विकास से प्राप्तियाँ	14360	104533	104533	104500
108–अन्य पशुधन विकास प्राप्तियाँ	12236	33011	33011	30000
501–सेवाएँ और सेवा शुल्क	42242	99032	99032	99000
800–अन्य प्राप्तियाँ				
01–निदेशक के अधीन प्राप्तियाँ	21151	27294	27294	25000
02–अधिक भुगतान से वसूलियाँ	1747	1651	1651	2000
03–इमारतों का किराया	1083	495	495	1200
04–लोथ उपयोग केन्द्रों से आय	220	150	150	136
05–निदेशक पशुपालन के लिए नियंत्रण के अधीन दूध और दूध से बनायी अन्य वस्तुओं की बिक्री से आय	11600	49516	49516	46000
06–अभिजनन और गर्भित कराने की फीस और पशुओं की बिक्री से आय	58942	110035	110035	100000
07–अंशदान ब्याज सहित	–	61	61	54
99–प्रकीर्ण प्राप्तियाँ	215036	55916	55916	230000
900–घटाएँ वापसियॉ				
01–वापसियॉ	–50	–1	–1	–
योग 0403	**387595**	**500000**	**500000**	**654690**

विगत तीन वर्षो में स्वीकृत पदों की सूची

लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनेत्तर, राजपत्रित (01.04.2013)

पदनाम	अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रू0)	ग्रेड वेतन	1 अप्रैल 2013 को विद्यमान पदों की स्थिति		अभ्युक्ति
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या–15– लेखाशीर्षक–2403– पशुपालन –आयोजनेत्तर राजपत्रित					
निदेशक	37400–67000	10000	1		
अपर निदेशक ग्रेड–1	37400–67000	8900		5	
वित्त नियंत्रक	37400–67000	8900	1		
अपर निदेशक ग्रेड–2	37400–67000	8700	3	17	
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	37400–67000	7600	1	.	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	15600–39100	7600	1	69	
संयुक्त निदेशक	15600–39100	7600	–	65	
संयुक्त निदेशक सांख्यकी	15600–39100	7600	1		
उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी / उपनिदेशक / अधीक्षक	15600–39100	6600	–	467	
पशुचिकित्साधिकारी	15600–39100	5400	1400	172	
उपनिदेशक प्रक्षेत्र	15600–39100	6600	1		
प्रधानाचार्य बी0के0टी0 लखनऊ	15600–39100	6600	1		
उपनिदेशक (सांख्यकी)	15600–39100	6600	1		
कृषि अधिकारी	15600–39100	5400		1	
चारा विकास अधिकारी	15600–39100	5400	1		
सहायक निदेशक (प्रचार)	15600–39100	5400	1		
पशुधन विपणन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी ऊन श्रेणीकरण	15600–39100	5400	2		
प्रोग्रामर (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग)	15600–39100	5400	–	1	
रिसर्च इनवेस्टीगेटर	15600–39100	5400	–	1	

प्रोजेक्ट इकोनामिक	15600—39100	5400	—	1	
संख्याविद / संख्या अधिकारी	15600—39100	5400	4		
प्रक्षेत्र प्रबन्धक (चारा संवर्ग)	15600—39100	5400	8		
वित्त एवं लेखाधिकारी	15600—39100	5400	3		
ऊन विपणन अधिकारी	9300—34800	4200		1	
ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	9300—34800	4200	1		
सहायक लेखाधिकारी	9300—34800	4800	16	2	
क्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट) / सहायक कुक्कुट अधिकारी / लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण / सहायक परियोजना अधिकारी कु0	9300—34800	4200	8		
लाइवस्टाक इन्टीलीजेन्ट्स इन्सपेक्टर	9300—34800	4200	1		
सर्वेक्षण अधिकारी	9300—34800	4600	4		
चर्म विकास अधिकारी	9300—34800	4200	1		
वैयक्तिक सहायक	9300—34800	4200	1		
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (अराजपत्रित)	9300—34800	4600	1		
योग			**1463**	**802**	

लेखाशीर्षक 2403—पशुपालन आयोजनागत, राजपत्रित

पदनाम	अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रू0)	ग्रेड वेतन	1 अप्रैल 2013 को विद्यमान पदों की स्थिति		अभ्युक्ति
			स्थायी	अस्थायी	
1	**2**	3	**4**	**5**	6
संयुक्त निदेशक रजिस्ट्रार वेटनरी काउंसिल	15600—39100	7600	—	1	
संयुक्त निदेशक वेटनरी काउंसिल	15600—39100	7600	—	1	

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	15600–39100	7600	–	3	
उपनिदेषक (सांख्यिकी)	15600–39100	6600	–	1	
पशु चिकित्साधिकारी	15600–39100	5400	–	399	
क्षेत्रीय अधिकारी	9300–34800	4600	–	11	
वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	–	1	
योग			–	**417**	
कुल योग (आयोजनेत्तर+आयोजनागत)			**1463**	**1219**	

<u>लेखाशीर्षक–2403– पशुपालन –आयोजनेत्तर अराजपत्रित</u>

1	2	3	4	5	6
पशुधन प्रसार अधिकारी	5200–20200	2800	2300	833	
अन्वेषक–कम–संगणक	9300–34800	4200	114	10	
संख्या सहायक	9300–34800	4200	12	–	
क्षेत्रीय निरीक्षक	9300–34800	4200	4	–	
कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	9300–34800	4200	1	–	01 पद अधिसंख्य
डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5200–20200	2800	5	–	02 पद अधिसंख्य
पुस्तकालयाध्यक्ष	5200–20200	2800	2	–	01 पद अधिसंख्य
केयर टेकर (अवर अभियंता)	5200–20200	2800	4	–	
ड्राफ्ट मैन(मानचित्रकार)	5200–20200	2800	1	–	
एयर कंडिशनर आपरेटर	5200–20200	2800	1	–	
एल0एन0 प्लांट मकैनिक आपरेटर	5200–20200	2800	1	22	
रेफ्रिजरेटर मकैनिक	5200–20200	2800	9	–	
प्रचार निरीक्षक	5200–20200	2400	1	–	
कलाकार/मानचित्रकार	9300–34800	4200	1	–	
सहायक प्रचार अधिकारी	9300–34800	4200	1	–	
इलेक्ट्रीशियन	5200–20200	2400	1	–	
प्रयोगशाला सहायक	5200–20200	2800	73	5	
कनिष्ठ लिपिक	5200–20200	1900	270	36	सीधी भर्ती का पद

					(अधिसंख्य 87)
पेड अप्रेन्टिस	नियतवेत 350/–	–	–	6	
सह् उर्दू अनुवादक	5200–20200	1900	–	30	
वरिष्ठ लिपिक	5200–20200	2400	267	26	
वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	74	6	
मुख्य लिपिक	9300–34800	4200	10	0	
कार्यालय अधीक्षक	9300–34800	4200	9	–	
प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4200	2	1	
सहायक लेखाधिकारी बी0के0टी0 लखनऊ	9300–34800	4200	1	–	
लेखाकार	9300–34800	4200	8	–	
सहायक लेखाकार	5200–20200	2400	52	19	
कनिष्ठ सम्परीक्षक	5200–20200	2400	3	–	
वरिष्ठ सम्परीक्षक	9300–34800	4200	12	–	

पदनाम	**अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रू0)**	**ग्रेड वेतन**	**1 अप्रैल 2013 को विद्यमान पदों की स्थिति**		**अभ्युक्ति**
			स्थायी	**अस्थायी**	
1	**2**	3	**4**	**5**	6
आशुलिपिक	5200–20200	2400	10	–	
आशुलिपिक	5200–20200	2800	5	–	
आशुलिपिक	9300–34800	4200	9	2	
वैयक्तिक सहायक(आशुलिपिक)	9300–34800	4200	1	–	
वाहन चालक	5200–20200	1900	160	32	
सहायक कृषि अधिकारी	9300–34800	4200	1	–	
प्राविधिक सहायक(चारा)	9300–34800	4200	1	–	
ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	9300–34800	4200	8	–	
सहायक दुग्ध शाला प्रबंधक	9300–34800	4200	1	–	

वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	9300–34800	4200	1	–	
क्षेत्र अधीक्षक	9300–34800	4200	3	–	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	9300–34800	4200	1	–	
कृषि निरीक्षक	5200–20200	2800	3	–	
सहायक क्षेत्र प्रबंधक	5200–20200	2800	1	–	
प्रक्षेत्र सहायक	5200–20200	2800	6	–	
स्नातक सहायक	5200–20200	2800	1	–	
पशुशाला पर्यवेक्षक	5200–20200	2800	1	–	
डेरी प्रभारी	5200–20200	2800	3	&	
डेरी एवं पशु प्रभारी	5200–20200	2800	1	&	
सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	5200–20200	2800	1	&	
सहायक प्रचार अधिकारी	5200–20200	2800	1	&	
संवर्धन (कल्टीवेशन) प्रभारी	5200–20200	2800	1	&	
चारा निरीक्षक	5200–20200	2800	10	&	
संवर्धन(कल्टीवेशन)ओवरशियर	5200–20200	2400	8	&	
संवर्धन (कल्टीवेशन)पर्यवेक्षक	5200–20200	2400	9	&	
सहायक कृषि निरीक्षक	5200–20200	2400	4	&	
सहायक संवर्धन (कल्टीवेशन)प्रभारी	5200–20200	2400	2	&	
सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	5200–20200	2400	1	&	
डेरी सहायक	5200–20200	2400	4	&	
पशु प्रभारी	5200–20200	2400	1	&	
सहायक डेरी प्रभारी	5200–20200	2400	1	&	
डेरी पर्यवेक्षक	5200–20200	2400	1	&	
चारा निरीक्षक	5200–20200	2400	2	&	03पद अधिसंख्य
विपणन निरीक्षक एवं नीलामी आयोजक	5200–20200	2800	7	&	
पशुधन विपणन निरीक्षक	9300–34800	4200	1	&	

ऊन विपणन निरीक्षक	9300–34800	4200	1	&	
विन निरीक्षक	9300–34800	4200	2	&	
भण्डार कम विन निरीक्षक	9300–34800	4200	1	&	
भण्डार पर्यवेक्षक	9300–34800	4200	1	&	
चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	9300–34800	4200	–	49	
वेटनरी फार्मासिस्ट	5200–20200	2800	1078	910	
फोरमैन मैकेनिक	9300–34800	4200	2	&	
ट्रैक्टर मैकेनिक	5200–20200	2800	9	&	
पदनाम	**अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रू0)**	**ग्रेड वेतन**	**1 अप्रैल 2013 को विद्यमान पदों की स्थिति**		**अभ्युक्ति**
			स्थायी	**अस्थायी**	
ट्रैक्टर आपरेटर	5200–20200	1900	54	&	
फार्म मैकेनिक	5200–20200	1800	2	&	
पशुशाला मिस्त्री	5200–20200	1800	1	&	
चिक सेक्सर	5200–20200	2400	1	&	
कुक्कुट निरीक्षक	9300–34800	4200	1	&	
कुक्कुट पर्यवेक्षक	5200–20200	2400	1	&	
अवर अभियन्ता	9300–34800	4200	1	&	
मैकेनिक	5200–20200	2400	1	&	
ट्रैक्टर आपरेटर	5200–20200	2400	1	&	
डिजाइनर कम क्लीनर/ वाटनर कम फिनीशर/ प्राविधिक सहायक कल चालक	5200–20200	2800	9	&	
मैकेनिक कम प्लॉन्ट आपरेटर	5200–20200	2400	1	&	
व्हायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	5200–20200	2400	1	&	
गट मास्टर/मास्टर फलेयर	5200–20200	2400	2	&	
अर्धकुशल श्रमिक, ामदार,शववाहक	5200–20200	2400	10	&	
मशीन क्लीनर/ट्रैक्टर क्लीनर/ माली	5200–20200	2400	4	&	
चर्म निरीक्षक	5200–20200	2800	6	&	

प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5200–20200	2800	5	&	
गोसदन मैनेजर	5200–20200	2800	4	&	
ड्रेसर	5200–20200	1800	149	147	
चपरासी / अर्दली / परिचर / स्वीपर चौकीदार / दफ्तरी	5200–20200	1800	4981	1729	
योग			**9839**	**3863**	कुल 95 अधिसंख्य
योग राजपत्रित			**1463**	**1219**	
योग अराजपत्रित			**9839**	**3975**	

नोटः– अधिसंख्य पद अस्थाई पदों के कुलयोग में सम्मिलित कर दर्शाया गया है।

<u>लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत, अराजपत्रित</u>

1	2	3	4	5	6
संख्या सहायक	9300–34800	4200	–	7	
क्षेत्रीय निरीक्षक	9300–34800	4200	–	6	
अन्वेषक कम संगणक	9300–34800	4200	–	45	
आशुलिपिक	9300–34800	4200	–	3	
अन्वेषक कम संगणक	(नियत वेतन रू010000)		–	45	*
लेखाकार	9300–34800	4200	–	1	
कनिष्ठ लिपिक	5200–20200	1900	–	1	
चालक	5200–20200	1900	–	1	
अर्दली	5200–20200	1800	–	1	
चतुर्थ श्रेणी	5200–20200	1800	–	2	
योग			–	**112**	

* नोट :– 45 पदों के सापेक्ष 29 पदों की निरन्तरता की स्वीकृति। शासन द्वारा नियुक्तियां निरस्त। मा0 न्यायालय के आदेश से कार्यरत।

विगत तीन वर्षो में स्वीकृत पदों की सूची
लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनेत्तर, राजपत्रित (01.04.2014)

पदनाम	अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रू0)	ग्रेड वेतन	01 अप्रैल 2014 को विद्यमान पदों की स्थति		
			स्थायी	अस्थायी	अभ्युक्ति
अनुदान संख्या–15– लेखाशीर्षक–2403– पशुपालन –आयोजनेत्तर राजपत्रित					
1	2	3	4	5	6
निदेशक	37400–67000	10000	01	–	
अपर निदेशक (ग्रेड–1)	37400–67000	8900	–	05	
वित्त नियंत्रक	37400–67000	8900	01	–	
अपर निदेशक (ग्रेड–2)	37400–67000	8700	03	17	
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	37400–67000	8700	01	–	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	15600–39100	7600	01	69	
संयुक्त निदेशक	15600–39100	7600	–	65	
संयुक्त निदेशक (सॉख्यिकी)	15600–39100	7600	01	–	
उप मुख्य पशु चि0अधि0 / उप निदेशक / अधीक्षक	15600–39100	6600	–	467	
उपनिदेशक (प्रक्षेत्र)	15600–39100	6600	01	–	
प्रधानाचार्य बी0के0टी0, लखनऊ	15600–39100	6600	01	–	
उपनिदेशक (सॉख्यिकी)	15600–39100	6600	01	–	
पशुचिकित्साधिकारी	15600–39100	5400	1400	172	
सहायक निदेशक (प्रचार)	15600–39100	5400	01	–	
पशुधन विपणन अधि0 / प्रभारी अधि0ऊन श्रेणीकरण	15600–39100	5400	02	–	
प्रोग्रामर (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग)	15600–39100	5400	–	01	
सॉख्यिकीय अधिकारी	15600–39100	5400	04	02	

वित्त एवं लेखा अधिकारी	15600–39100	5400	03	–	
प्रक्षेत्र प्रबंधक(कृषि संवर्ग)	15600–39100	5400	06	–	
कृषि अधिकारी	15600–39100	5400	–	01	
चारा विकास अधिकारी	15600–39100	5400	02	–	
सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)	15600–39100	5400	01	–	
सहायक लेखाधिकारी	9300–34800	4800	16	02	
अपर सॉख्यिकीय अधि0	9300–34800	4600	54	–	
ऊन विपणन अधिकारी	9300–34800	4200	–	01	
ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	9300–34800	4200	01	–	
क्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट)/ सहायक कुक्कुट विकास अधि0/ लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण/ सहायक परि0 अधि0 कुक्कुट	9300–34800	4200	08	–	
लाइवस्टाक इन्टेलीजेन्टस इंस्पेक्टर	9300–34800	4200	01	–	
चर्म विकास अधिकारी	9300–34800	4200	01	–	
वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	01	–	
वरिष्ठ प्रशासनिक अधि0 (अराजपत्रित)	9300–34800	4800	01	–	
योग			1513	802	

लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत, राजपत्रित

पदनाम	**अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रू0)**	**ग्रेड वेतन**	**01 अप्रैल 2014 को विद्यमान पदों की स्थति**		
			स्थायी	**अस्थायी**	**अभ्युक्ति**
1	2	3	4	5	6

संयुक्त निदे0 रजिस्ट्रार वेटनरी काउन्सिल	15600–39100	7600	–	01	
संयुक्त निदे0 वेटनरी काउन्सिल	15600–39100	7600	–	01	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	15600–39100	7600	–	03	
उपनिदेशक (सॉख्यिकी)	15600–39100	6600	–	01	
पशुचिकित्सा अधिकारी	15600–39100	5400	–	399	
अपर सॉख्यिकीय अधि0	9300–34800	4600	–	27	
क्षेत्रीय अधिकारी	9300–34800	4600	–	11	
वैयक्तिक सहायक	9300–34800	4200	–	01	
योग			–	444	
कुल योग (आयोजनेत्तर+ आयोजनागत)			**1513**	**1246**	

<u>लेखाशीर्षक–2403– पशुपालन –आयोजनेत्तर अराजपत्रित</u>

1	2	3	4	5	6
पशुधन प्रसार अधिकारी	5200–20200	2800	2300	833	
सहायक सांख्यकी अधिकारी	9300–34800	4200	80	41	49 पद मा0उच्च न्याया0 के विचाराधीन है।
कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	9300–34800	4200	1	–	01 पद अधिसंख्य
डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5200–20200	2800	5	–	02 पद अधिसंख्य
पुस्तकालयाध्यक्ष	5200–20200	2800	2	–	01 पद अधिसंख्य
केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	5200–20200	2800	4	–	
ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	5200–20200	2800	1	–	
एयर कंडिशनर आपरेटर	5200–20200	2800	1	–	
एल0एन0 प्लांट मैकेनिक आपरेटर	5200–20200	2800	1	22	
रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	5200–20200	2800	9	–	
प्रचार निरीक्षक	5200–20200	2400	1	–	
प्रचार पर्यवेक्षक	5200–20200	2000	4	–	
कलाकार/मानचित्रकार	9300–34800	4200	1	–	
सहायक प्रचार अधिकारी	9300–34800	4200	1	–	

इलेक्ट्रीशियन/विद्युत यॉत्रिक	5200–20200	2400	12	–	
प्रयोगशाला सहायक	5200–20200	2800	97	5	
कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	304	36	सीधी भर्ती का पद (अधिसंख्य 66)
पेड अप्रेन्टिस	–	–	–	6	रु0 350/– नियत प्रतिमाह
सह् उर्दू अनुवादक	5200–20200	1900	–	30	सीधी भर्ती का पद
वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	184	26	प्रोन्नति का पद
प्रधान सहायक	9300–34800	4200	58	6	प्रोन्नति का पद
प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	18	–	पदोन्नति का पद
सहायक लेखाधिकारी बी0के0टी0 लखनऊ	9300–34800	4200	1	–	सीधी भर्ती का पद
लेखाकार	9300–34800	4200	3	–	सीधी भर्ती का पद
पदनाम	**अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रू0)**	**ग्रेड वेतन**	**01 अप्रैल 2014 को विद्यमान पदों की स्थति**		
			स्थायी	**अस्थायी**	**अभ्युक्ति**
सहायक लेखाकार	5200–20200	2400	103	34	सीधी भर्ती का पद
कनिष्ठ सम्परीक्षक	5200–20200	2400	3	–	लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (01 कार्मिक वरिष्ठ सम्परीक्षक पद के सापेक्ष अधिसंख्य के रूप में कार्यरत)
वरिष्ठ सम्परीक्षक	9300–34800	4200	12	–	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक	5200–20200	2800	14	–	सीधी भर्ती का

					पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800	4200	9	–	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800	4600	4	–	प्रोन्नति का पद
वाहन चालक	5200–20200	1900	160	32	
सहायक कृषि अधिकारी	9300–34800	4200	1	–	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	9300–34800	4200	1	–	
ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	9300–34800	4200	8	–	
सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	9300–34800	4200	1	–	
वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	9300–34800	4200	1	–	
क्षेत्र अधीक्षक	9300–34800	4200	3	–	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	9300–34800	4200	1	–	
कृषि निरीक्षक	5200–20200	2800	3	–	
सहायक क्षेत्र प्रबंधक	5200–20200	2800	1	–	
प्रक्षेत्र सहायक	5200–20200	2800	6	–	
स्नातक सहायक	5200–20200	2800	1	–	
पशुशाला पर्यवेक्षक	5200–20200	2800	1	–	
डेरी प्रभारी	5200–20200	2800	3	–	
डेरी एवं पशु प्रभारी	5200–20200	2800	1	–	
सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	5200–20200	2800	1	–	
सहायक प्रचार अधिकारी	5200–20200	2800	1	–	
संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	5200–20200	2800	1	–	
चारा निरीक्षक	5200–20200	2800	10	–	
संवर्धन(कल्टीवेशन) ओवरशियर	5200–20200	2400	8	–	
संवर्धन(कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	5200–20200	2400	9	–	
सहायक कृषि निरीक्षक	5200–20200	2400	4	–	
सहायक संवर्धन (कल्टीवेशन) प्रभारी	5200–20200	2400	2	–	
सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	5200–20200	2400	1	–	
डेरी सहायक	5200–20200	2400	4	–	
पशु प्रभारी	5200–20200	2400	1	–	
सहायक डेरी प्रभारी	5200–20200	2400	1	–	
डेरी पर्यवेक्षक	5200–20200	2400	1	–	

चारा निरीक्षक	5200–20200	2400	2	–	03 पद अधिसंख्य
विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	5200–20200	2800	7	–	
पशुधन विपणन निरीक्षक	9300–34800	4200	1	–	प्रोन्नति का पद
ऊन विपणन निरीक्षक	9300–34800	4200	1	–	प्रोन्नति का पद
बिन निरीक्षक	9300–34800	4200	2	–	प्रोन्नति का पद
पदनाम	**अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रू0)**	**ग्रेड वेतन**	**01 अप्रैल 2014 को की स्थिति**		
			स्थायी	**अस्थायी**	**अभ्युक्ति**
भण्डार कम बिन निरीक्षक	9300–34800	4200	1	–	प्रोन्नति का पद
भण्डार पर्यवेक्षक	9300–34800	4200	1	–	प्रोन्नति का पद
चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	9300–34800	4200	–	49	प्रोन्नति का पद
वेटनरी फार्मासिस्ट	5200–20200	2800	1078	910	
फोरमैन मैकेनिक	9300–34800	4200	2	–	
ट्रेक्टर मैकेनिक	5200–20200	2800	9	–	
ट्रैक्टर आपरेटर	5200–20200	1900	51	–	
फार्म मैकेनिक	5200–20200	1800	2	–	
पशुशाला मिस्त्री	5200–20200	1800	1	–	
चिक सेक्सर	5200–20200	2400	1	–	
ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	9300–34800	4200	12	–	
अवर अभियन्ता	9300–34800	4200	1	–	
मैकेनिक	5200–20200	2400	1	–	
ट्रैक्टर आपरेटर	5200–20200	2400	1	–	
डिजायनर कम क्लीनर/ वाटनर कम फिनीशर/ प्राविधिक सहायक कम चालक	5200–20200	2800	9	–	
मैकेनिक कम प्लॉण्ट आपरेटर	5200–20200	1900	1	–	
व्हायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	5200–20200	1900	1	–	
गट मास्टर/मास्टर फ्लेयर	5200–20200	1800	2	–	
अर्धकुशल श्रमिक, कामदार, शववाहक	5200–20200	1800	10	–	

मशीन क्लीनर / ट्रैक्टर क्लीनर / माली	5200–20200	1800	4	–	
चर्म निरीक्षक	5200–20200	2800	6	–	
ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	9300–34800	4200	1	1	
प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5200–20200	2800	5	–	
गोसदन मैनेजर	5200–20200	2800	4	–	
ड्रेसर	5200–20200	1800	149	146	
चपरासी / अर्दली / परिचर / चौकीदार / दफ्तरी / स्वीपर	5200–20200	1800	4981	1729	74 पद अधिसंख्य कार्यरत
योग			**9816**	**3906**	
योग राजपत्रित			**1513**	**1246**	
योग अराजपत्रित			**9816**	**3906**	

नोटः– अधिसंख्य पद अस्थाई पदों के कुलयोग में सम्मिलित कर दर्शाया गया है।

लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत अराजपत्रित

1	2	3	4	5	6
संख्या सहायक	9300–34800	4200	–	7	
क्षेत्रीय निरीक्षक	9300–34800	4200	–	6	
अन्वेषक कम संगणक	9300–34800	4200	–	45	
आशुलिपिक	9300–34800	4200	–	3	
अन्वेषक कम संगणक	(नियत वेतन रू0 10000)		–	45	
लेखाकार	9300–34800	4200	–	1	
कनिष्ठ सहायक	5200–20200	1900	–	1	
चालक	5200–20200	1900	–	1	
अर्दली	5200–20200	1800	–	1	
चतुर्थ श्रेणी	5200–20200	1800	–	2	
योग				112	

- नोट :– 45 पदों के सापेक्ष 29 पदों की निरन्तरता की स्वीकृति। शासन द्वारा नियुक्तियां निरस्त। मा0 न्यायालय के आदेश से कार्यरत।

विगत तीन वर्षों में स्वीकृत पदों की सूची

लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनेत्तर, राजपत्रित (01.04.2015)

क्र0सं0	विभिन्न संवर्ग के पदों के पदनाम	दि0 01–04–2015 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	अन्तिम विहित वेतनमान		
		स्थायी	अस्थायी				वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रू0	सादृश्य ग्रेड वेतन रू0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुदान सं0–15– लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन– आयोजनेत्तर राजपत्रित								
	निदेशक, प्रशासन एवं विकास	1	–	1	1	–	वेतन बैण्ड–04	37400–67000	10000
	निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र	–	1	1	–	1	वेतन बैण्ड–04	37400–67000	10000
	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	–	1	1	–	वेतन बैण्ड–04	37400–67000	10000
	अपर निदेशक ग्रेड–1	–	4	4	–	4	वेतन बैण्ड–04	37400–67000	8900
	वित्त नियंत्रक	1	–	1	–	1	वेतन बैण्ड–04	37400–67000	8900
	अपर निदेशक ग्रेड–2	3	17	20	–	20	वेतन बैण्ड–04	37400–67000	8700

	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	1	69	70	69	1	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	7600
	संयुक्त निदेशक	–	65	65	17	48	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	7600
	संयुक्त निदेशक (सॉख्यिकीय)	1	–	1	–	1	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	7600
0	उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी/ उपनिदेशक/अधीक्षक	–	467	467	411	56	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	6600
1	उपनिदेशक (प्रक्षेत्र)	1	–	1	–	1	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	6600
2	प्रधानाचार्य, बी0के0टी0, लखनऊ	1	–	1	–	1	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	6600
3	उपनिदेशक (सॉख्यिकीय)	1	–	1	–	1	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	6600
4	पशु चिकित्साधिकारी	1400	379	1779	1496	283	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
5	सहायक निदेशक (प्रचार)	1	–	1	1	–	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
7	प्रोग्रामर (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग)	1	–	1	–	1	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
0सं0	**विभिन्न संवर्ग के पदों के पदनाम**	**दि0 01–04–2015 को विद्यमान स्वीकृत पद**		**कुल स्वीकृत पद**	**कुल भरे पद**	**कुल रिक्त पद**	**अन्तिम विहित वेतनमान**		
		स्थायी	**अस्थायी**				**वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम**	**सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रू0**	**सादृश्य ग्रेड वेतन रू0**

8	सॉख्यिकीय अधिकारी	4	2	6	–	6	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
9	वित्त एवं लेखाधिकारी	3	–	3	2	1	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
0	प्रक्षेत्र प्रबंधक (कृषि संवर्ग)	6	–	6	1	5	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
1	कृषि अधिकारी	–	1	1	–	1	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
2	चारा विकास अधिकारी	2	–	2	–	2	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
3	सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	–	1	1	–	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
4	सहायक लेखाधिकारी	16	2	18	3	15	वेतन बैण्ड–02	15600–39100	4800
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	–	1	1	–	वेतन बैण्ड–02	15600–39100	4800
6	ऊन विपणन अधिकारी	–	1	1	–	1	वेतन बैण्ड–02	15600–39100	4600
7	ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	1	–	1	1	–	वेतन बैण्ड–02	15600–39100	4600
8	लाइव स्टाक इन्टेलीजेंस इन्सपेक्टर	1	–	1	1	–	वेतन बैण्ड–02	15600–39100	4600

9	क्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट)/ सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी/लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण/ सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट)	8	–	8	–	8	वेतन बैण्ड–02	15600–39100	4600
0	चर्म विकास अधिकारी	1	–	1	–	1	वेतन बैण्ड–02	15600–39100	4600
1	वैयक्तिक सहायक	1	–	1	–	1	वेतन बैण्ड–02	15600–39100	4200
	योग–	**1459**	**1008**	**2467**	**2007**	**460**			

लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनेत्तर, राजपत्रित (01.04.2015)

क0 सं0	**विभिन्न संवर्ग के पदों के पदनाम**	**दि0 01–04–2015 को विद्यमान स्वीकृत पद**		**कुल स्वीकृत पद**	**कुल भरे पद**	**कुल रिक्त पद**	**अन्तिम विहित वेतनमान**		
		स्थायी	**अस्थायी**				**वेतन बैण्ड/ वेतनमान**	**सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रु0**	**सादृश्य ग्रेड वेतन रू0**

							का नाम		
1	अपर निदेशक ग्रेड–2	–	1	1	–	1	वेतन बैण्ड–04	37400–67000	8700
2	संयुक्त निदेशक, रजिस्ट्रार वेटनरी कौंसिल	–	1	1	–	1	वेतन बैण्ड–03	37400–67000	7600
3	संयुक्त निदेशक, वेटनरी कौंसिल	–	1	1	–	1	वेतन बैण्ड–03	37400–67000	7600
4	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	–	3	3	–	3	वेतन बैण्ड–03	37400–67000	7600
5	उपनिदेशक (सॉंख्यिकीय)	–	1	1	–	1	वेतन बैण्ड–03	37400–67000	6600
6	पशुचिकित्साधिकारी	–	203	203	76	127	वेतन बैण्ड–03	15600–39100	5400
7	वैयक्तिक सहायक	–	1	1	–	1	वेतन बैण्ड–02	15600–39100	4200
	योग	–	**211**	**211**	**76**	**135**			
	कुल योग (आयोजनेत्तर + आयोजनागत)	**1459**	**1219**	**2678**	**2083**	**595**			

लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–आयोजनेत्तर अराजपत्रित

पदनाम	दि0 01-04-2015 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	अन्तिम विहित वेतनमान			
	स्थायी	अस्थायी				वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान रू0	सादृश्य ग्रेड वेतन रू0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पशुधन प्रसार अधिकारी	2840	286	3126	1765	1361	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
सहायक सांख्यकीय अधिकारी	117	–	117	17	100	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
अपर सांख्यिकीय अधिकारी	66	–	66	66	–	पी0बी0–2	9300–34800	4600	
कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	1	–	1	2	–	पी0बी0–2	9300–34800	4200	01 पद अधिसंख्य
डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5	–	5	7	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	02 पद अधिसंख्य
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	–	2	3	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	01 पद अधिसंख्य
केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	4	–	4	1	3	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	1	–	1	–	1	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
एयर कंडिशनर आपरेटर	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
एल0एन0 प्लांट मैकेनिक आपरेटर	1	22	23	19	4	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	9	–	9	8	1	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
प्रचार निरीक्षक	1	–	1	–	1	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
प्रचार पर्यवेक्षक	4	–	4	3	1	पी0बी0–1	5200–20200	2000	
कलाकार	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
सहायक प्रचार अधिकारी	1	–	1	1	–	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
इलेक्ट्रीशियन/विद्युत यॉत्रिक	12	–	12	7	5	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
प्रयोगशाला सहायक	97	5	102	54	48	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
कनिष्ठ सहायक	304	39	343	386	–	पी0बी0–1	5200–20200	2000	सीधी भर्ती का पद (अधिसंख्य 43)
पेड अप्रेन्टिस	–	6	6	–	6	–	–	–	
सह उर्दू अनुवादक	–	30	30	29	1	पी0बी0–1	5200–20200	1900	सीधी भर्ती का पद

वरिष्ठ सहायक	184	29	213	191	22	पी0बी0–1	5200–20200	2800	प्रोन्नति का पद
प्रधान सहायक	58	6	64	58	6	पी0बी0–2	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद
प्रशासनिक अधिकारी	18	–	18	18	–	पी0बी0–2	9300–34800	4600	पदोन्नति का पद
सहायक लेखाधिकारी बी0के0टी0 लखनऊ	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	सीधी भर्ती का पद
लेखाकार	105	–	105	–	105	पी0बी0–2	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद
सहायक लेखाकार	35	–	35	35	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	सीधी भर्ती का पद
कनिष्ठ सम्परीक्षक	3	–	3	4	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (01 कार्मिक वरिष्ठ सम्परीक्षक पद के सापेक्ष अधिसंख्य के रूप में कार्यरत)
वरिष्ठ सम्परीक्षक	12	–	12	7	5	पी0बी0–2	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक	14	–	14	6	8	पी0बी0–1	5200–20200	2800	सीधी भर्ती का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9	–	9	7	2	पी0बी0–1	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	4	–	4	2	2	पी0बी0–2	9300–34800	4600	प्रोन्नति का पद
वाहन चालक	160	32	192	119	73	पी0बी0–1	5200–20200	1900	
सहायक कृषि अधिकारी	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	–	1	1	–	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	8	–	8	7	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	1	–	1	1	–	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
क्षेत्र अधीक्षक	3	–	3	2	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
पदनाम	**दि0 01–04–2015 को विद्यमान स्वीकृत पद**	**कुल स्वीकृत पद**	**कुल भरे पद**	**कुल रिक्त पद**	**अन्तिम विहित वेतनमान**		**पदनाम**	**दि0 01–04–2015 को विद्यमान स्वीकृत पद**	

	स्थायी	अस्थायी				वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान रु0	सादृश्य ग्रेड वेतन रू0	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
कृषि निरीक्षक	3	–	3	3	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
सहायक क्षेत्र प्रबंधक	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
प्रक्षेत्र सहायक	6	–	6	6	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
स्नातक सहायक	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
पशुशाला पर्यवेक्षक	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
डेरी प्रभारी	3	–	3	3	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
डेरी एवं पशु प्रभारी	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
सहायक प्रचार अधिकारी	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
चारा निरीक्षक	10	–	10	10	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
संवर्धन(कल्टीवेशन) ओवरशियर	8	–	8	8	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
संवर्धन(कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	9	–	9	9	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
सहायक कृषि निरीक्षक	4	–	4	4	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
सहायक संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	2	–	2	2	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
डेरी सहायक	4	–	4	4	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
पशु प्रभारी	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
सहायक डेरी प्रभारी	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
डेरी पर्यवेक्षक	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
चारा निरीक्षक	2	–	2	5	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	03 पद अधिसंख्य
विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	7	–	7	5	2	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
पशुधन विपणन निरीक्षक	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद
ऊन विपणन निरीक्षक	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद
बिन निरीक्षक	2	–	2	–	2	पी0बी0–2	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद
भण्डार कम बिन निरीक्षक	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद
भण्डार पर्यवेक्षक	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद
चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	–	49	49	–	49	पी0बी0–2	9300–34800	4200	प्रोन्नति का पद

वेटनरी फार्मासिस्ट	1741	237	1978	1306	672	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
फोरमैन मैकेनिक	2	–	2	–	2	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
ट्रेक्टर मैकेनिक	9	–	9	8	1	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
ट्रैक्टर आपरेटर	51	–	51	50	1	पी0बी0–1	5200–20200	1900	
फार्म मैकेनिक	2	–	2	–	2	पी0बी0–1	5200–20200	1800	
पशुशाला मिस्त्री	1	–	1	–	1	पी0बी0–1	5200–20200	1800	
चिक सेक्सर	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	12	–	12	–	12	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
अवर अभियन्ता	1	–	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
मैकेनिक	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
ट्रैक्टर आपरेटर	1	–	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	2400	
मैकेनिक कम प्लॉण्ट आपरेटर	1	–	1	–	1	पी0बी0–1	5200–20200	1900	
व्वायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	1	–	1	–	1	पी0बी0–1	5200–20200	1900	
गट मास्टर/मास्टर फ्लेयर	2	–	2	1	1	पी0बी0–1	5200–20200	1800	
अर्धकुशल श्रमिक, कामदार, शववाहक	10	–	10	8	2	पी0बी0–1	5200–20200	1800	
मशीन क्लीनर/ट्रैक्टर क्लीनर/माली	4	–	4	1	3	पी0बी0–1	5200–20200	1800	
चर्म निरीक्षक	6	–	6	6	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
पदनाम	**दि0 01–04–2015 को विद्यमान स्वीकृत पद**	**कुल स्वीकृत पद**	**कुल भरे पद**	**कुल रिक्त पद**	**अन्तिम विहित वेतनमान**		**पदनाम**	**दि0 01–04–2015 को विद्यमान स्वीकृत पद**	
	स्थायी	**अस्थायी**				**वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम**	**सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान रु0**	**सादृश्य ग्रेड वेतन रू0**	
ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	1	1	2	–	2	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5	–	5	–	5	पी0बी0–1	5200–20200	2800	

गोसदन मैनेजर	4	–	4	4	–	पी0बी0–1	5200–20200	2800	
ड्रेसर	149	146	295	239	56	पी0बी0–1	5200–20200	1800	
चपरासी/अर्दली/परिचर/ चौकीदार/दफ्तरी/ स्वीपर	4981	1729	6710	4825	1885	पी0बी0–1	5200–20200	1800	
योग	**11156**	**2617**	**13773**	**9357**	**4467**				

लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–आयोजनागत अराजपत्रित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अपर सांख्यिकीय अधिकारी		15	15	15	–	पी0बी0–2	9300–34800	4600	पदोन्नति का पद
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	–	7	7	6	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	सीधी भर्ती का पद
अन्वेषक कम संगणक	–	25	25	25	–	नियत वेतन	रू0 10000/–	–	मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के कम में कार्यरत
आशुलिपिक	–	3	3	3	–	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
लेखाकार	–	1	1	–	1	पी0बी0–2	9300–34800	4200	
कनिष्ठ सहायक	–	1	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	1900	
चालक	–	1	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	1900	
अर्दली	–	1	1	1	–	पी0बी0–1	5200–20200	1800	
चतुर्थ श्रेणी	–	2	2	2	–	पी0बी0–1	5200–20200	1800	
योग	–	**56**	**56**	**54**	**2**				

नोट–

1. 45 पदों के सापेक्ष 29 पदों की निरन्तरता की स्वीकृति। शासन द्वारा नियुक्तियां निरस्त।
2. मा0 न्यायालय के आदेश से कार्यरत।

i'kq/ku foHkkx

dk;ZiwfrZ fnXn'kZd

¼ijQkWjesal ctV½

vk;&O;;d
o"kZ 2016–17

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1–4
2.	योजनाओं के अन्तर्गत विभागीय परिव्यय	5–6
3.	विभाग के अर्न्तगत उपलब्ध संस्थायें	7
4.	ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम	8
5.	वित्तीय आवश्यकतायें	
	(क) कार्यक्रम का वर्गीकरण	9
	(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	10
	(ग) वित्तीय साधनों का स्रोत	10
6.	वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण	
	(1) निदेशन तथा प्रशासन	11
	(2) पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	11–15
	(3) रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन	15–17
	(4) उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्	18
	(5) पशु तथा भैंस विकास	19–21
	(6) कुक्कुट विकास	21–26
	(7) भेड़ तथा ऊन विकास	27–28
	(8) सूकर विकास एवं बकरी विकास	28–29
	(9) अन्य पशुधन विकास	29–33
	(10) चारा तथा चरागाह विकास	33–35

	(11) प्रसार तथा प्रशिक्षण	35–36
	(12) प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी	36–38
	(13) अन्य व्यय	
	(अ) गौशाला विकास	38–39
	(ब) चर्म शोधन एवं पशु शव के उपयोग	39–41
7.	विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभागीय प्राप्तियॉं	41
8.	विगत तीन वर्षो में स्वीकृत पदों की सूची	42–55

अनुदान संख्या–15
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक सर्वप्रथम सदन में वर्ष 1974.75 में प्रस्तुत किया गया था। तब से अनवरत् रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है, ताकि विभागीय कार्यकलापों, पूर्व वर्षों की उपलब्धियों, वर्तमान लक्ष्यों एवं अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जा सके। इससे वित्तीय परिव्ययों को भौतिक लक्ष्यों से सम्बद्ध करने का यथासम्भव प्रयास किया गया है।

आशा है यह कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक वर्ष 2016–17 में परिव्ययों के उपयोग पर उचित नियन्त्रण रखने में सहायक सिद्ध होगा तथा इससे योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में समुचित सहायता मिलेगी।

लखनऊः
दिनॉक :

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव,
पशुधन